खण्ड–33, अंक–03
गुरूवार, 09 चैत्र, शक संवत्, 1934
(29 मार्च, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2012)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 33 में 03 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

मूल्य–

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति	''क''
सदन में विश्वास मत व्यक्त करने हेतु मुख्यमंत्री का वक्तव्य ...	01
सदन में विश्वास मत प्रस्तुत करने का प्रस्ताव (पारित)	01–03
श्री देवेन्द्र शास्त्री, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् तथा श्री विद्यासागर नौटियाल, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार	04–11
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	11
''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2010-11 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे (सदन के पटल पर रखा)	11–12
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा ...	12–57
वित्तीय वर्ष 2012-13 के एक भाग के लिए लेखानुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-	57
अनुदान संख्या-01, विधान सभा (स्वीकृत)	57
अनुदान संख्या-03, मंत्रि-परिषद् (स्वीकृत)	57
अनुदान संख्या-04, न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	58
अनुदान संख्या-05, निर्वाचन (स्वीकृत)	58
अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)	58–59
अनुदान संख्या-07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं (स्वीकृत)	59
अनुदान संख्या-08, आबकारी (स्वीकृत)	59
अनुदान संख्या-10, पुलिस एवं जेल (स्वीकृत)	60
अनुदान संख्या-11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण (स्वीकृत) ...	60
अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण (स्वीकृत) ...	60–61
अनुदान संख्या-13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (स्वीकृत) ...	61

विषय				पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या–14, सूचना (स्वीकृत)	...	...	...	61
अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं (स्वीकृत)	...	...	...	62
अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार (स्वीकृत)	...	...	...	62
अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान (स्वीकृत)		...	...	62–63
अनुदान संख्या–18, सहकारिता (स्वीकृत)	...	...	...	63
अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास (स्वीकृत)	...	...	...	63
अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ (स्वीकृत)	...	...	...	64
अनुदान संख्या–21, ऊर्जा (स्वीकृत)	...	...	...	64
अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण (स्वीकृत)	...	...	...	64–65
अनुदान संख्या–23, उद्योग (स्वीकृत)	...	...	...	65
अनुदान संख्या–24, परिवहन (स्वीकृत)	...	...	...	65
अनुदान संख्या–25, खाद्य (स्वीकृत)	...	...	...	66
अनुदान संख्या–26, पर्यटन (स्वीकृत)	...	...	...	66
अनुदान संख्या–27, वन (स्वीकृत)	...	...	...	66–67
अनुदान संख्या–28, पशुपालन (स्वीकृत)	...	...	...	67
अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास (स्वीकृत)	...	...	...	67
अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण (स्वीकृत)			...	68
अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (स्वीकृत) ...				68
उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित एवं पारित)	...	...	...	68–72
सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)				72
राष्ट्रगान				73

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अजय भट्ट
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्री आदेश चौहान
7—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8—श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9—श्री किरन चन्द मण्डल
10—श्री गणेश गोदियाल
11—श्री गणेश जोशी
12—श्री चन्दन राम दास
13—श्री चन्द्र शेखर
14—डा0 जीत राम
15—श्री तीरथ सिंह
16—श्री दलीप सिंह रावत
17—श्री दान सिंह भण्डारी
18—श्री दिनेश अग्रवाल
19—श्री दिनेश धनै
20—श्री नवप्रभात
21—श्री नारायणराम आर्य
22—श्री पुष्कर सिंह धामी
23—श्री पूरन सिंह फर्त्याल
24—कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
25—श्री प्रदीप बत्रा
26—श्री प्रीतम सिंह
27—श्री प्रीतम सिंह पंवार
28—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
29—श्री प्रेम सिंह
30—श्री फुरकान अहमद
31—श्री बंशीधर भगत
32—श्री भीमलाल आर्य
33—श्री मदन कौशिक
34—श्री मदन सिंह बिष्ट
35—श्री मनोज तिवारी
36—श्री मयूख सिंह
37—श्री महावीर सिंह
38—श्री माल चन्द
39—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
40—श्री यतीश्वरानन्द
41—श्री यशपाल आर्य
42—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
43—श्री राजकुमार
44—श्री राज कुमार ठुकराल
45—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
46—श्री राजेश शुक्ला
47—श्री ललित फर्स्वाण
48—श्री विक्रम सिंह नेगी
49—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
50—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
51—श्री बिशन सिंह चुफाल
52—श्रीमती शैला रानी रावत
53—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
54—श्री संजय गुप्ता
55—श्री सरवत करीम अंसारी
56—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
57—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
58—श्री सुबोध उनियाल
59—श्रीमती सरिता आर्य
60—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
61—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
62—श्री सुरेन्द्र राकेश
63—श्री हरक सिंह रावत
64—श्री हरबन्स कपूर
65—श्री हरभजन सिंह चीमा
66—श्री हरिदास
67—श्री हरीश धामी
68—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
69—श्री हेमेश खर्कवाल

गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

सदन में विश्वास मत व्यक्त करने हेतु मुख्यमंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

*मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले कि सदन की कार्यवाही शुरू हो, मैं सदन में एक वक्तव्य देना चाहता हूँ, उसके लिये आपकी अनुमति माँग रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अनुमति प्रदान की जाती है।

सदन में विश्वास मत प्रस्तुत करने का प्रस्ताव

श्री विजय बहुगुणा–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दो दिनों से हमारे विपक्ष के साथी इस बात को उठा रहे हैं कि मेरी सरकार को इस सदन का विश्वास मत प्राप्त नहीं है। संवैधानिक रूप से यह बात गलत है और नैतिक रूप से भी गलत है, क्योंकि हमने आपके चुनाव के समय यह प्रमाणित कर दिया था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन एक स्वस्थ परम्परा के लिये, प्रतिपक्ष का विश्वास तो मैं आने वाले समय में जीत लूंगा, लेकिन हमारे सदन में हमारा बहुमत है, इसके लिये मैं एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ कि "यह सदन मंत्रिमण्डल में विश्वास व्यक्त करता है।" मेरा अनुरोध है कि आज की कार्यवाही प्रारम्भ कराने से पहले इस हेतु मत विभाजन कर लिया जाए।

*श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, इसके लिये गोपनीय मतदान करा लिया जाए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, कपूर साहब इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरी बात एक बार सुन लीजिये, आप लोग कृपा करके अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ गये)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, सभी विषयों पर बैठकर आराम से बात की जा सकती है, इस तरह से हंगामा करने की क्या जरूरत है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, भारत में 27 बार विश्वास मत लिया गया है, इसमें गुप्त मतदान होता ही नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसके लिये कहीं भी यह प्रक्रिया निर्धारित नहीं है कि गुप्त मतदान नहीं किया जाएगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ''वेल'' में आ गए और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के समस्त सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री अध्यक्ष–

मत विभाजन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है।

प्रश्न यह है कि माननीय नेता सदन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि ''यह सदन मंत्रिमण्डल में विश्वास व्यक्त करता है,'' को विचार हेतु लिये जाने की सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजय बहुगुणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि हाथ उठवा कर भी गिनती करवा दें।

श्री अध्यक्ष–

मुझे माननीय सदन को अवगत कराना है कि विश्वास मत अथवा अविश्वास मत के प्रस्ताव में विनिश्चय शलाका द्वारा किए जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रस्ताव पर मतदान ध्वनि मत से आवाजें संग्रहीत करके, अथवा हाथ खड़े करके या अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय सदस्य अपना मत व्यक्त कर सकते हैं।

प्रश्न यह है कि "यह सदन मंत्रिमण्डल में विश्वास व्यक्त करता है", को पारित किया जाए।

(तत्पश्चात प्रस्ताव के पक्ष में माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गए और प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए माननीय सदस्यों की गिनती कर माननीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया गया)

श्री अध्यक्ष–

विश्वास मत के पक्ष में खड़े होने वाले माननीय सदस्यों की संख्या 39 है तथा प्रस्ताव के विरोध में कोई माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है। अतः विश्वास मत सर्वसम्मति से पारित हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, चूँकि प्रतिपक्ष यह जानता था, मान्यवर, प्रतिपक्ष यह समझ गया है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है और यह सिद्ध हो गया कि विश्वास मत 39 मतों से हमने प्राप्त कर लिया है। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) ऐसे समय में प्रतिपक्ष का वॉकआउट करना परम्पराओं के भी विपरीत है, सदन की अवमानना भी है। इसलिए मान्यवर, आज के महत्वपूर्ण मुद्दे जिसमें एक राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद का प्रस्ताव है और दूसरा वोट ऑन अकाउन्ट है, इन्हें पारित करवाने की कृपा करें, क्योंकि प्रतिपक्ष है ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष इनका चुना नहीं गया है। इसमें जो कार्यवाही का हिस्सा, जैसे निधन की सूचना को ले लिया जाए, क्योंकि प्रतिपक्ष भागीदारी नहीं कर रहा है। हमारा बहुमत है और जो संख्या यहाँ पर है, वह बिलकुल स्पष्ट बैठी हुई है, फिजिकल वैरीफिकेशन हुआ है, 39 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जो बार–बार इसकी जिद कर रहे थे। तीन दिन से सदन नहीं चलने दिया, कोई कार्यवाही नहीं होने दी, आज वो गम्भीर नहीं हैं। पार्लियामेंट तक में हमेशा वोट ऑफ कान्फीडेंस से होता है। पार्लियामेन्ट्री प्रोसीजर में हजारों उदाहरण हैं, मान्यवर, उसकी भी अवमानना की, सदन की अवमानना की। मान्यवर, पीठ का निर्णय सर्वोच्च होता है और मान्यवर, आपकी अनुज्ञा का भी उन्होंने पालन नहीं किया। इसलिए मेरी माँग है कि निधन के निदेश की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात् जो दो अन्य प्रस्ताव हैं, उन्हें पारित करवाने की कृपा करें। यह मेरा अनुरोध है। अब आगे आपके विवेक पर है।

श्री देवेन्द्र शास्त्री, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद तथा श्री विद्यासागर नौटियाल, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिवंगत पूर्व विधायक श्री देवेन्द्र शास्त्री (व्यवधान)

*श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, निधन के निदेश में पहले नेता सदन को बोलना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

सदन के सम्मानित साथियों, मुझे आपको सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि पूर्व विधायक देवेन्द्र शास्त्री जी का निधन हो गया है और श्री विद्यासागर नौटियाल जी आज हमारे बीच नहीं हैं। दोनों का निधन हो गया है। श्री देवेन्द्र शास्त्री का जन्म 1922 को ग्राम चुरेणा, जिला टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता स्व0 पं0 गिरधरानन्द जी थे। माता श्रीमती विशेश्वरी देवी थीं। आपने प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में व ऋषिकेश, देहरादून में, माध्यमिक शिक्षा अमृतसर, लाहौर, पंजाब में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1977–80 में देहरादून विधान सभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वर्ष 1994–2000 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य तथा विधान परिषद् की विभिन्न समितियों के सदस्य व याचिका समिति के सभापति रहे। ग्राम सभा के प्रधान, विकास खण्ड सहसपुर के ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा जिला परिषद लेखा समिति के सदस्य भी रहे। सामाजिक जीवन में वर्ष 1940 से स्वतंत्रता आन्दोलन में प्रतिभाग तथा जेल यात्रा की। वर्ष 1947 में भारत विभाजन के समय शेखपुरा में बचाव व सुरक्षा का सेवा कार्य किया, अनेक आन्दोलनों में भाग लिया तथा जेल गए। हरबर्टपुर–कालसी सड़क मार्ग निर्माण की माँग के आन्दोलन में 15 दिन, खाद्य आन्दोलन में 15 दिन, उत्तराखण्ड आन्दोलन में 2 बार, आपातकाल में 3 महीने कारावास में रहे। उत्तराखण्ड क्षेत्र में तत्कालीन जनसंघ को मजबूती प्रदान करने में विशेष योगदान रहा। जिला देहरादून में भगवानपुर क्षेत्र में श्रमदान से चार मील लम्बी नहर के निर्माण के साथ ही पंचायत भवन, प्राइमरी स्कूल आदि का निर्माण कराया। समाज में शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु सक्रिय अनेक स्कूलों के संस्थापक तथा प्रेरणास्रोत रहे। उनकी विशेष अभिरुचि समाज सेवा तथा जन कल्याण में थी। उनका देहावसान दिनांक 09 जनवरी, 2012 को हुआ।

मान्यवर, माननीय दिवंगत पूर्व विधायक श्री विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म 29 सितम्बर, 1933 में टिहरी जनपद के माली देवल गाँव में हुआ। उनके पिता श्री नारायण दत्त नौटियाल और उनकी पत्नी स्व0 श्रीमती देवेश्वरी नौटियाल हैं। वे एम0ए0, एल0एल0बी0 थे, उन्होंने टिहरी, देहरादून एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से शिक्षा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राप्त की। वह वर्ष 1980–85 में देवप्रयाग विधान सभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। सामाजिक कृतित्व में वह छात्र जीवन से ही सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। वर्ष 1958 में ऑल इण्डिया स्टूडेंट्स फैडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वरिष्ठ साहित्यकार, जीवन भर किसान और ग्रामीण जीवन, विशेषकर पहाड़ से जुड़ी समस्याओं, आकांक्षाओं व संघर्षों को अपने साहित्य के माध्यम से मुखरित करते रहे। उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में अनेक बार जेल यात्रा भी की। वर्ष 2011 में हिन्दी भाषा एवं साहित्य के संवर्धन तथा भारतीय कृषि एवं ग्रामीण जीवन को अपने साहित्य से मुखरित करने के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने विश्व युवक समारोह के सम्बन्ध में आस्ट्रिया, अफगानिस्तान, हंगरी तथा सोवियत संघ की यात्रा की। विशेष अभिरुचि उनका लेखन तथा पर्वतारोहण रहा। उनकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें उलझे रिश्ते, भीम अकेला, उत्तर बांया है, मोहन गाता जाएगा, टिहरी की कहानियां, सुच्चि डोर, बागी टिहरी, यमुना के बागी बेटे, 10 प्रतिनिधि कहानियां आदि हैं। उनका देहावसान दिनांक 12 फरवरी, 2012 को बंगलौर में हुआ। उनके परिवार में दो पुत्र व चार पुत्रियां हैं।

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने दल की ओर से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी भावनाओं और शोक संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें और भगवान उनके परिवार को इस दु:ख की घटना से उबारने की कोशिश करे। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें बड़ा दु:ख है कि हमारे बीच से पूर्व समाज सेवी श्री देवेन्द्र शास्त्री जी का निधन हुआ है। स्व0 श्री देवेन्द्र शास्त्री जी उस जमाने के प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, आन्दोलनकारी थे और उन्होंने देश की आजादी से लेकर उत्तराखण्ड में जो एक समाजसेवा की मिसाल कायम की वह पीढ़ियों तक याद की जाती रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा उनका जोर रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जाए। वह अपने जीवनकाल में निरन्तर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते रहे और उनसे हम जैसे बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा ली है, वह जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वह पंचायत की जो छोटी इकाई होती है उससे उठे हुए व्यक्ति थे और उच्च शिखर तक पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर उनके निधन से पूरे देश और समाज को बहुत क्षति हुई है। उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ठीक उसी तरह हमारे बीच में प्रखर आन्दोलनकारी, साहित्यकार, पूर्व विधायक विद्यासागर नौटियाल जी भी नहीं रहे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहीं से स्वर्गीय विद्यासागर नौटियाल जी भी आते थे। सन् 1960 से पूर्व उत्तरकाशी–टिहरी एक ही क्षेत्र टिहरी जनपद थे। उनका जो आन्दोलन का इतिहास रहा है और पूरे क्षेत्र को एक लाल घाटी के नाम से पहचाना जाता था, उनके निधन से उस लाल घाटी को ही बड़ी क्षति नहीं हुई उससे पूरे प्रदेश और राष्ट्र को क्षति हुई है। वह एक साहित्यकार भी थे। समाज में जो कुरीतियां थीं, उन्होंने हमेशा अपनी लेखनी से उन्हें उजागर कर समाज सेवा का कार्य किया है और उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने हमेशा पर्वतीय क्षेत्रों की आवाज को वहां पर बुलन्द किया है और एक शेर की तरह हमेशा उन्होंने जनता की आवाज उठाई और हमेशा समाज सेवा में लीन रहे। उत्तराखण्ड के अन्दर जो तमाम आन्दोलन हुए हैं, स्वर्गीय विद्यासागर नौटियाल जी ने उन आन्दोलनों का नेतृत्व किया। आज पूरा उत्तराखण्ड उनके निधन से दुखी है। उनके जाने से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर, हम सब चलने का प्रयास करेंगे। मैं दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय शास्त्री जी और स्वर्गीय विद्यासागर नौटियाल जी के निधन का समाचार इस सम्मानित सदन में आया है। जहां तक स्वर्गीय शास्त्री जी और स्वर्गीय नौटियाल जी के जीवन संघर्ष के बारे में जो जानकारी हम लोगों को है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के कारण स्वर्गीय शास्त्री जी का परिवार और उनके विचार और आदर्श निश्चित रूप से अनुकरणीय हैं और स्वर्गीय नौटियाल जी के बारे में जो हमको जानकारी मिली है, निश्चित रूप से उन्होंने समाज की कुरीतियों को समाप्त करने का और समाज की अच्छी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से माननीय सदस्यगण भी चाहते हैं कि यह संवेदना उनके परिवार को, सदन के माध्यम से चली जाए और उनके आदर्श, उनके संघर्ष का जो इतिहास है, उनके जो विचार है, निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी और उनकी सच्ची याद यही होगी कि उनके आदर्शों को आगे बढ़ाएं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है माननीय पीठ के माध्यम से भी यह संदेश उनके परिवार तक भेजने का कष्ट करें।

*श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, आज वरिष्ठ सदस्यों के निधन की सूचना इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत की है। उसमें अपने सभी सम्मानित साथियों द्वारा दिए गए विचारों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए, मैं देहरादून जनपद के पछवादून क्षेत्र को हुई अपार क्षति, जो माननीय शास्त्री जी के निधन से हुई उसमें अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। हम पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं और राजनैतिक विचारधाराओं में चाहे हम विपरीत विचारधाराओं से जुड़े रहे हों परन्तु आदरणीय शास्त्री जी के राजनैतिक संघर्ष और उनके सिद्धान्तों के लिए उनका संघर्ष, हमें हमेशा याद रहेगा। वे सौम्यता और सज्जनता की विभूति रहे हैं। राजनैतिक प्रतिवादों में उन्होंने व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्तों को कभी भी खराब होने नहीं दिया। उनका परिवार आज भी इस परम्परा का निर्वहन कर रहा है। मान्यवर, मैं अपनी तरफ से उनको अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूं। आदरणीय नौटियाल जी, वे एक साहित्यकार के रूप में उतनी ही मान्यता रखते थे जितनी कि राजनेता के रूप में। वे उन ऐतिहासिक संघर्षों में शामिल रहे हैं जो भारत के आजाद होने के एक वर्ष बाद तक टिहरी रियासत के अन्दर कांग्रेस द्वारा भी लड़े गए और वामपंथी द्वारा भी लड़े गए। जैसा माननीय पंवार जी ने कहा बहुत लम्बे समय तक उनके सशक्त नेतृत्व के कारण उस क्षेत्र की जनता उनकी विचारधाराओं से जुड़ी रही और इस बड़े क्षेत्र को हम सामान्य भाषा में लालघाटी के रूप में याद करते रहे, ऐसे वरिष्ठ राजनेता, साहित्यकार परिवार के प्रति भी मैं अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूं।

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने दो महान विभूतियों जो उत्तर प्रदेश के सदन के सम्मानित सदस्य रहे हैं उनके निधन पर बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी नेता सदन, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता उत्तराखण्ड क्रांति दल, माननीय मंत्री दुर्गापाल जी, माननीय नवप्रभात जी, जिन्होंने जो दुःख के शब्द व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। निश्चित रूप से देवेन्द्र शास्त्री जी के सानिध्य में मुझे बहुत लम्बे समय तक काम करने का अवसर मिला है। मुझे आज भी याद है तमाम उत्तराखण्ड राज्य के संघर्ष में वे उत्तराखण्ड संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे और प्रदेश के महामंत्री के रूप में मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। जब मैं पहली बार उत्तर प्रदेश की विधान सभा में निर्वाचित हो करके आया था चूँकि मैं एकदम छात्र राजनीति से निकलकर उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पहुँचा था और सीधे मंत्री हो गया था। मुझे संसदीय और प्रशासनिक अनुभवहीनता थी। उन्होंने एक गार्जियन की तरह हमेशा अपना सानिध्य दिया, मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे आज भी याद है कि जब भी वे लखनऊ आते थे मेरे आवास पर ही रुकते थे और बहुत सारा संसदीय और प्रशासनिक अनुभव मुझे उनसे मिलता था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक गुरु की तरह, गार्जियन की तरह, मुझे हमेशा विद्यार्थी के रूप में हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है और कई अवसर ऐसे आये हैं कि राजनीतिक रूप से जब आगे बढ़ाने की बात आई है तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों में वे भी एक ऐसे व्यक्ति

थे, मान्यवर, जिनके सानिध्य के कारण राजनीतिक रूप में मुझे आगे आने का अवसर मिला है। उनके परिवार को भी मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत नजदीक से जानता हूं और माननीय अध्यक्ष जी, मैंने महसूस किया है कि सचमुच गांधीवादी और ईमानदारी की वो प्रतिमूर्ति थे, एम0एल0ए0 होने बाद भी, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता होने के बाद भी जिस तरह उनका जीवन मैंने देखा है, जब वे कभी बीमार होते थे तो उस समय उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायकों के लिए भी तमाम मेडिकल सुविधाएं नहीं थीं, पेंशन और वेतन भी बहुत कम हुआ करता था तो इस गरीबी में बहुत मुश्किल से वे अपना जीवन–यापन किया करते थे, लेकिन मैंने देखा है कि कभी भी बहुत सी विपरीत परिस्थितियों में भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं और निश्चित रूप से मेरे राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में उनके आशीर्वाद का भी बहुत योगदान है, यहां मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से चाहता हूं कि उनके परिवार तक मेरी यह भावना और इस सदन की भावना जरूर पहुंचाई जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह पूर्व विधायक श्री विद्यासागर नौटियाल जी पूरे उत्तराखण्ड में बहुत ही साम्यवाद और समाजवाद के द्योतक और ध्वजवाहक के रूप में उनकी पहचान बनी है और चूँकि श्रीनगर में मेरा घर होने के कारण और श्रीनगर से लगी हुई विधान सभा देवप्रयाग से जब वर्ष 1980 में वे चुनकर आए तो उस समय मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहा था, तो निश्चित रूप से श्री विद्यासागर नौटियाल जैसे संघर्षशील व्यक्तित्व को मैंने नजदीक से देखा है और तमाम छात्र आन्दोलनों में जब हमको उनकी जरूरत होती थी तो वे हमेशा हम सब के साथ छात्र आन्दोलनों में अगर कहीं सड़क पर बैठने की आवश्यकता होती थी तो वे हमारे साथ सड़कों पर बैठे हैं और अनेक तमाम छात्र आन्दोलनों के दौरान माननीय श्री विद्यासागर नौटियाल जी का आशीर्वाद और सहयोग हमेशा हमको मिला है, निश्चित रूप से आज उनके निधन से केवल उनके परिवार की क्षति नहीं हुई है, केवल देवप्रयाग विधान सभा से टिहरी जनपद की क्षति नहीं हुई है, ये पूरे उत्तराखण्ड की क्षति है और बहुत लम्बे समय तक श्री विद्यासागर नौटियाल जैसे संघर्षशील नेतृत्व की कमी हमेशा खलती रहेगी, तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है और मैं बहुत हृदय की गहराई से दुःख व्यक्त करते हुये आपके माध्यम से उनके परिवार तक अपनी इस शोक की भावनाएं अर्पित करना चाहता हूं, पहुँचाना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री देवेन्द्र शास्त्री और श्री विद्यासागर नौटियाल जी के निधन पर विधान सभा में शोक संवेदना व्यक्त करने का अवसर दिया इसके लिए

मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, श्री देवेन्द्र शास्त्री जी और श्री विद्यासागर नौटियाल जी हमारे टिहरी जनपद के निवासी रहे हैं और श्री देवेन्द्र शास्त्री जी का जहां तक सवाल है मान्यवर, जब मैं छात्र आन्दोलन में टिहरी में भूख हड़ताल पर बैठा था उस समय श्री देवेन्द्र शास्त्री जी किसी कार्य से टिहरी आए थे और मुझे भूख हड़ताल का 8वां दिन था और शास्त्री जी ने कैम्पस में आकर के मुझे कहा कि बेटा यह उम्र भूखे रहने की नहीं है। आप अपनी मांग को मनवाइये और हम भी विश्वविद्यालय में किसी से बात करेंगे। मान्यवर, श्री शास्त्री जी की पहल पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के तत्कालीन वी0सी0 श्री बौड़ाई जी टिहरी आए थे और छात्रों की मांग को मनवाने में उन्होंने अपना योगदान दिया था। मान्यवर, श्री शास्त्री जी का जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण एवं मेहनत का जीवन रहा है, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मान्यवर, श्री विद्यासागर नौटियाल जी के जीवन के बारे में कहना चाहता हूँ। स्व0 नौटियाल जी एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक आन्दोलन थे। मान्यवर, स्व0 नौटियाल जी ने केवल उत्तराखण्ड के ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के किसानों की आवाज को, जनता की आवाज को, विधान सभाओं और संसद तक पहुंचाने का कार्य किया है। मान्यवर, जब गढ़वाल विश्वविद्यालय का आन्दोलन चल रहा था और उस समय स्व0 हेमवतीनन्दन बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस आन्दोलन को उन्होंने बहुत ही ताकत और बल दिया और विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, जिसकी घोषणा स्व0 हेमवतीनन्दन बहुगुणा जी को करनी पड़ी। मान्यवर, जहां तक टिहरी के आन्दोलन का सवाल है तो टिहरी की रियासत की आजादी की लड़ाई से लेकर के और टिहरी विस्थापितों की लड़ाई तक, चूंकि टिहरी डूब चुका है। मान्यवर, टिहरी शहर और टिहरी जिले ने पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी है और इस लड़ाई को स्व0 विद्यासागर नौटियाल जी ने आगे बढ़ाया और मंजिल तक पहुंचाने का कार्य किया है। मान्यवर, चिपको आन्दोलन, जो श्री सुन्दरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चला, मुझे भी उस आंदोलन में शिरकत करने का मौका मिला और उस दौरान भी स्व0 श्री विद्यासागर नौटियाल जी का सहयोग जो रहा वह अविस्मरणीय है, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं आज इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से स्व0 श्री देवेन्द्र शास्त्री जी और स्व0 श्री विद्यासागर नौटियाल जी की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार तक इस सदन की संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता यू0के0डी0, माननीय श्री दुर्गापाल जी, माननीय श्री नवप्रभात जी, माननीय श्री हरक सिंह रावत जी और माननीय श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी ने जो अपने विचार रखे उनसे अपने को सम्बद्ध करते

हुए कहना चाहता हूं कि स्व0 श्री देवेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 20 मई, 1922 को ग्राम चुरेणा जिला टिहरी गढ़वाल में हुआ था। स्व0 श्री देवेन्द्र शास्त्री जी के पिता का नाम श्री पण्डित गिरधरानन्द था, जो ग्रामीण वैद्य थे। स्व0 श्री देवेन्द्र शास्त्री जी की प्रारम्भिक शिक्षा गांव में व ऋषिकेश, देहरादून में माध्यमिक शिक्षा और अमृतसर, लाहौर, पंजाब में उच्च शिक्षा हुई थी। उनका विवाह श्रीमती विशेश्वरी देवी से हुआ था। श्री शास्त्री ने 1941–42 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। वे जेल भी गए और 1947 में भारत विभाजन के समय शेखपुरा में अपने जीवन को सामाजिक कृतित्व में ढालकर बचाव व सुरक्षा का सेवा कार्य किया। आप 1948 में जेल गए और जेल से निकलने के पश्चात् देहरादून जिले के भगवानपुर गांव में जमीन लेकर रहने लगे।

क्षेत्र में पानी की समस्या को देखकर 07 गांवों के किसानों ने श्रमदान करके 4 मील लम्बी नहर का निर्माण किया, जिसका उद्‌घाटन लोक सभा के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। यह नहर आगे चलकर इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई। श्री शास्त्री ने हरबर्टपुर–कालसी सड़क मार्ग निर्माण की मांग के आन्दोलन तथा उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन सहित अनेक आन्दोलनों में भाग लिया। आप कई बार जेल भी गए। आपातकाल में भी आपको 3 महीने का कारावास हुआ। श्री देवेन्द्र शास्त्री ग्राम सभा के प्रधान, विकास खण्ड सहसपुर के ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा जिला परिषद लेखा समिति के सदस्य भी रहे। श्री देवेन्द्र शास्त्री ने 1977 से 1980 तक देहरादून विधान सभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश विधान सभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आप विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे। श्री शास्त्री 1994 से 2000 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य तथा विधान परिषद् की विभिन्न समितियों के सदस्य व याचिका समिति के सभापति रहे। शास्त्री जी समाज में शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु सक्रिय रहे तथा अनेक स्कूलों के संस्थापक व प्रेरणा स्रोत रहे। अफसोस की बात है कि श्री शास्त्री का दिनांक 09 जनवरी, 2012 को देहरादून के एक अस्पताल में निधन हो गया। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।

दूसरी तरफ श्री विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म 29 सितम्बर, 1933 को टिहरी जनपद के माली देवल गांव में हुआ था। श्री विद्यासागर नौटियाल जी के पिता का नाम श्री नारायण दत्त नौटियाल था। श्री विद्यासागर नौटियाल जी की शिक्षा टिहरी, देहरादून तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से हुई। आपका विवाह श्रीमती देवेश्वरी नौटियाल के साथ हुआ। आप छात्र जीवन से ही सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए थे। वर्ष 1958 में ऑल स्टूडेंट्स फैडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। श्री नौटियाल 1980 में देवप्रयाग विधान सभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर विधायक बने। आपने कई सामाजिक आन्दोलनों में भाग लिया तथा जेल भी गए। श्री नौटियाल वरिष्ठ

साहित्यकार थे। जीवन भर आप किसान और ग्रामीण जीवन, विशेषकर पहाड़ से जुड़ी समस्याओं, आकांक्षाओं व संघर्षों को अपने साहित्य के माध्यम से मुखरित करते रहे। हिन्दी भाषा एवं साहित्य के संवर्धन तथा भारतीय कृषि एवं ग्रामीण जीवन को अपने साहित्य से मुखरित करने के लिए श्री नौटियाल को वर्ष 2011 में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। विश्व युवक समारोह के सम्बन्ध में आपने आस्ट्रिया, अफगानिस्तान, हंगरी तथा सोवियत संघ आदि देशों की यात्रा भी की। हिन्दी भाषा में आपकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें उलझे रिश्ते, भीम अकेला, उत्तर बायां है, सूरज सबका, मोहन गाता जाएगा, टिहरी की कहानियां, सुच्वी डोर, बागी टिहरी, यमुना के बागी बेटे, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ आदि हैं। दिसम्बर, 2011 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण श्री नौटियाल अपने पुत्र के पास बंगलौर चले गए तथा 12 फरवरी, 2012 को वहीं के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। श्री नौटियाल अपने पीछे 2 पुत्र तथा 4 पुत्रियों का परिवार छोड़ गए हैं। माननीय सदन द्वारा व्यक्त शोक संवेदनाएं मैं शोक संतप्त परिवार तक पहुँचा दूंगा। दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन धारण करने हेतु कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें।

(सभी माननीय सदस्य दो मिनट के मौन के लिए खड़े हुए)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–299, नियम–300, नियम–53 तथा नियम–58 की सूचनाएं माननीय सदस्यों श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक एवं श्री सुरेन्द्र सिंह जीना से प्राप्त हुई हैं। माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं। अतः इन सूचनाओं को उनकी अनुपस्थिति के कारण मैं अस्वीकार कर रहा हूँ।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखता हूँ।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वित्त लेखे 2010–11 के सदन के पटल पर प्रस्तुत किए हैं, इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिन्दु है, जिसकी ओर सरकार और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, वित्त लेखे भाग–एक के दूसरे पेज में यदि आप देखें तो वर्ष 2010–11 में 11 दिन ओवर ड्राफ्टिंग की गई है। इससे पहले जब हमारी सरकार पं0 नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में बनी थी तो पांच साल में एक भी दिन ओवर ड्राफ्टिंग नहीं हुई थी। वर्ष 2010–11 में यदि 11 दिन ओवर ड्राफ्टिंग की गई तो देश के सामने, आर0बी0आई0 के सामने और केन्द्र सरकार के सामने और बाजार से जो ऋण हम लेते हैं, उन सभी के सामने हमारे प्रदेश की छवि खराब की गई है। मेरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर ध्यान देंगे तथा इस पर जांच करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमारे प्रदेश की छवि खराब हुई है, यदि कल के दिन हम ऋण लेने जाते हैं, तो उसमें इसका प्रभाव पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

इसमें सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है, यह लोक लेखा समिति को भेजा जा सकता है।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल ही महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव कृतज्ञतापूर्वक प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन उस दिन भारी शोर होने के कारण मैं दो शब्द भी नहीं बोल सकी थी, आपने आज इसके लिए मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का एक नीतिगत दस्तावेज होता है कि आगे सरकार को क्या कार्य करना है, उसमें हमने संकल्प लिया है कि अनवरत नियोजित विकास के माध्यम से पांच वर्षों में हम उत्तराखण्ड को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेंगे। हमने उसमें अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि हम मितव्ययी, भ्रष्टाचार मुक्त, धर्म निरपेक्ष और जनता के प्रति जवाबदेह शासन की व्यवस्था करेंगे।

मान्यवर, हमने अपना लक्ष्य भी निर्धारित किया है इस दस्तावेज, इस अभिभाषण के माध्यम से कि हम राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक साम्प्रदायिक सद्भाव एवं विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करेंगे। हमने गरीब, दलित, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासियों के उत्थान, उनके सम्मान, सुरक्षा एवं विकास में समान भागीदारी का भी संकल्प लिया है। हम महिलाओं को समान अधिकार, कर्मचारियों, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान, पूर्व सैनिकों एवं बुद्धिजीवियों की क्षमता का भरपूर उपयोग शासन के कार्यों में लेंगे। हमने कृषि विकास कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, हर ग्राम स्तर पर सत्ता के विकेन्द्रीकरण का भी संकल्प लिया है।

हमने अपनी प्राथमिकताओं में निर्धारित किया कि हम प्रतिपक्ष से निरन्तर संवाद बनाए रखेंगे। किसान, मजदूर सहित अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने वाली लोकप्रिय सरकार की छवि बनाएं और मान्यवर, उसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। आज उसी दृष्टि से जो विश्वासमत माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया, जिसके लिए लगातार दो दिन से सदन में व्यवधान हो रहा था। समाचार पत्र और हमारे मीडिया के साथी भी लगातार हमसे यह सवाल पूछ रहे थे, आज वो भी स्पष्ट हो गया कि मतदान में अध्यक्षीय चुनाव को उन्होंने नहीं माना। सार्वजनिक रूप से यहां विश्वास मत में 39 मत प्राप्त हुए। मान्यवर, जिसकी अधिकारिक घोषणा करने का आपको अधिकार है और आपने कर दी। तो हम प्रतिपक्ष के साथ भी निरन्तर संवाद बनाए रखने का भी, क्योंकि हम प्रतिपक्ष को विश्वास में लेकर सरकार चलाना चाहते हैं और नियमों के अन्तर्गत जो हमारी पार्लियामेन्ट्री पद्धति है, संसदीय व्यवस्था है उसके अन्तर्गत, अपनी नियमावली के अन्तर्गत, कांन्स्टीट्यूशन के हिसाब से और पार्लियामेन्ट्री परम्पराओं के हिसाब से जो हमारी परम्पराएं हैं उसके आधार पर ही हम व्यवस्था चलाना चाहते हैं।

मान्यवर, उसमें आप हमारे संरक्षक हैं, आप संरक्षण करेंगे। भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देने के लिए हमने गढ़वाल में, कुमाऊं में एक–एक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करने को इसमें शामिल किया है। जिला एवं तहसील स्तर पर शिकायतों का कम्प्यूटराइज्ड रजिस्टर तैयार होगा और इसमें तेजी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा। हमने राजस्व पुलिस, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और उन्हें ये अधिकार चाहिए, उनके लिए संस्थान स्थापित करने को सुदृढ़ और आधुनिकीकृत करने के लिए उनका संस्थान स्थापित करने का भी वादा किया है। हमने मंत्रियों, विधायकों एवं राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देना कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाएगा, ये भी वादा किया है। सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु बहुत लम्बे समय से मांग थी कि नैनीताल बहुत महंगा हो जाता है। इसलिए गढ़वाल मण्डल में जहां कहीं मंत्रिमण्डल और जनहित में आवश्यक होगा, एक बेंच स्थापित हो जाए जिससे सुदूर ग्रामीण अंचल और बड़ी दूर टिहरी, पौड़ी के लोगों को रहने की सस्ती सुविधा मिल सके। ये भी जब हम इस पर निर्णय कर रहे थे और इसके माध्यम से हमारे जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें इसे सम्मिलित किया गया है, इसमें भी ठोस पहल की जाएगी। हमने कर्मचारियों की सुविधा के लिए और आम नागरिकों की सुविधा के लिए आवास विकास परिषद का गठन किया जो उत्तर प्रदेश में था और यहां जब उत्तराखण्ड बना तो हम उसका गठन नहीं कर पाए। जो कर्मचारी यहां काम कर रहे थे काफी परेशान हैं, वो अब भी उत्तर प्रदेश की सेवा से जुड़े हुए हैं और आवास विकास परिषद होना चाहिए ताकि आवासीय सुविधा सस्ती दरों पर, अच्छे स्थानों पर कर्मचारियों

को और मध्यमवर्गीय लोगों को प्राप्त हो सके। हमने दून वैली विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण "दून वैली भाष्कर" का पूरे देश में और जितनी मेरी जानकारी है अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हिन्दुस्तान के लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कहीं भी सेवा करते हैं, वो दून वैली को बहुत पसन्द करते हैं। इनका क्षेत्र विकास प्राधिकरण इनकी पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए और इनमें रहने की व्यवस्था उचित होनी चाहिए।

मान्यवर, वित्तीय प्रबन्धन के लिए भी हम लोग सजग हैं जैसा अभी सिंघल साहब ने इंगित किया कि 11 बार ओवर ड्राफ्ट हुआ और रिजर्व बैंक ने भी कैसे परमिशन दे दी, यह वित्तीय दृष्टि से भी बहुत बड़ी अनियमितता मानी जाती है। तो ऐसी ओवर ड्राफ्टिंग माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में जब सरकार चली, वह एक कुशल वित्तीय प्रबन्धक भी हैं, उस समय एक बार भी ऐसा अवसर नहीं हुआ कि कहीं एक रेड लाइन लगी हो। हमारा वित्तीय प्रबन्धन भी सुदृढ़ हो और आय के स्रोत हमारे बढ़ें, हमारा कर प्रबन्धन ढांचा भी दुरुस्त हो, हमारी आमदनी बढ़े और हमने इस पर भी ध्यान दिया है कि 65 प्रतिशत भूमि पर हमारे वन हैं, पर्यावरण की दृष्टि से सारी दुनिया में जो बैठकें होती हैं तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से ग्रीन बोनस की राशि प्राप्त करके भी हम अपने राजकोष को बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ाएं। वित्तीय प्रबन्धन अनावश्यक प्रशासनिक व्यय पर अंकुश लगाकर ऋण के बोझ को कम कर सकें, ओवर ड्राफ्ट के मायने हैं हम पर ऋण का बोझ है, ओवर ड्राफ्ट के द्वारा हमने यह व्यवस्था चलाई है तो हमको इसका भी आकलन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त हम अपने राजनीतिक जीवन में जो लोग विशेषकर सरकार से जुड़े हुए हैं वह सादगी और मितव्ययता के आदर्श का उदाहरण आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करें क्योंकि हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है, वह जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग न करे, यह भी हमारी प्रतिबद्धता होगी और हमारा संकल्प होगा। इस प्रकार वह सादगी मितव्ययता शब्दों में न हो, वह दिखाई भी दे कि हम अनावश्यक खर्च न करें, खर्च का बोझ न बढ़े और हमारे बिल इतने अधिक न आएं कि जब आर0टी0आई0 द्वारा सवाल पूछा जाए तो पता चला कि 10 लाख की चाय पिला दी, इतने का पेट्रोल खर्च कर दिया गया। हम आम जनता के प्रति जवाबदेह रहें साथ ही हम मितव्ययता दिखाएं।

कृषि हमारा बहुत बड़ा माध्यम है। पर्वतीय क्षेत्र में आज भी लोग कृषि के माध्यम से रोजी–रोटी नहीं चला पा रहे हैं, इसीलिए पलायन हो रहा है तो इस पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। इसके लिए आवश्यक है ट्रेनिंग, जहां कृषि महाविद्यालय हों वहां जो–जो माध्यमिक विद्यालय इस परिस्थिति में हों कि वहां कृषि जैसा विषय खोला जा सकता हो, कृषि की ट्रेनिंग और कृषि की जानकारी दी जा सकती है। कृषि विद्यालयों की स्थापना करके, इसके माध्यम से हम नौजवानों को ट्रेनिंग दें और कृषि का विकास

करके ही हम उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में सम्पन्नता ला सकते हैं। इसलिए हमने यह भी निर्णय लिया है कि हम दो हजार गांवों को जैविक कृषि के साथ जोड़ेंगे क्योंकि जैविक कृषि की मांग आज सारी दुनिया में है और हमारे जैविक उत्पादन के विपणन की भी समुचित व्यवस्था हो। हम फसल बीमा योजना भी लागू करेंगे ताकि दैवीय आपदा में सहायता या जंगली जानवरों से कृषि के क्षेत्र को भारी नुकसान हो रहा है, उसे बचाया जा सके। हमारे जो फल हैं पूरे पर्वतीय क्षेत्र में माल्टा, नींबू, अदरक, आडू, अमरूद और बहुत से फल हैं, वह भारी संख्या में होते हैं, न उसका कोई मूल्य निर्धारित हुआ और न वहां के कृषकों को कोई पैसा मिल पा रहा है। इसलिए हम खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित कर किसानों को अधिक लाभ देंगे और उनका मूल्य भी निर्धारित करेंगे। यह हम लोगों ने संकल्प लिया है जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। हम इनका मूल्य भी पहले से घोषित करेंगे। हम विद्युत सप्लाई भी करेंगे, बकाया बिल पर जो दण्ड लगा है उसका आकलन करेंगे। वित्तीय प्रबन्धन के अन्तर्गत जहां आवश्यक होगा उनको माफी भी दी जाएगी। हम ट्यूबवैल, हैण्डपम्प आदि की खरीद पर सहायता राशि भी किसानों को देंगे ताकि वह ट्यूबवैल लगा सकें, हैण्डपम्प भी लगा सकें। हमने आम सहमति से भूमि की चकबन्दी की बात भी की है, इस चकबन्दी को हमने इस सीमा तक प्रोत्साहित करने की बात की है जो ग्रामीण क्षेत्र चकबन्दी को अपनाएंगे उन्हें ` 25 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और बिना चकबन्दी के सामूहिक खेती अपनाने वाले गांव को भी मान लिया, किसी ने चकबन्दी नहीं की, वह सामूहिक खेती कर रहे हैं उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चकबन्दी को भी हमने बहुत प्राथमिकता देकर ग्रामीण क्षेत्र के कृषक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त हम रामबांस, बांस एवं रिंगाल विकास मिशन को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करेंगे। यदि इनको देखें तो नॉर्थ ईस्ट में यह बहुत बड़े व्यवसाय का कारण बन सका, लेकिन उत्तराखण्ड में नहीं बन सका। हम रामबांस, बांस, रिंगाल के माध्यम से छोटे कुटीर उद्योग के व्यवसाय को विकसित करेंगे और उनके विपणन की भी व्यवस्था करेंगे और उनका रेट भी तय करें और मार्केट भी उपलब्ध कराएंगे और टसर विकास बोर्ड को, रेशम बोर्ड को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कई राज्य ऐसे हैं जो टसर बोर्ड के लिए जाने जाते हैं और भारी मात्रा में साउथ में जाना जाता है। इसकी व्यवस्था नॉर्थ यानी उत्तराखण्ड में हो सकती है, परन्तु हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तराई क्षेत्र को सीड प्रोसेसिंग जोन के रूप में जाना जाए। पन्तनगर विश्वविद्यालय का बीज सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे सीड प्रोसेसिंग जोन के रूप में विकसित किया जाए ताकि किसानों की आमदनी हो सके। जो सीड के रूप में किसान अपना सीड पैदा करते हैं, उनको दाम अधिक मिलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम किसानों को सीड प्रोसेसिंग

के माध्यम से भी लाभ दें। पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के रूप में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, इन्हें उससे जोड़ें अन्यथा कहीं कृषि महाविद्यालय बनते हैं तो उनके साथ जोड़ें। ` पचास हजार तक के समस्त ऋणों पर जो दण्डात्मक ब्याज है उसे भी माफ किया जाएगा, ऐसा भी हमने उल्लेख किया है। उसका आकलन भी किया जाएगा ताकि किसान केवल ऋण देने में ही समाप्त न हो जाएं। सहकारी बैंकों ने जो ऋण दिए हैं वह वन–टाइम सैटलमेंट से केन्द्र सरकार से आग्रह करना पड़ेगा। वन–टाइम सैटलमेंट होकर जो सहकारी बैंक इस समय कमजोर हो गए हैं, उनको मजबूत करके को–ऑपरेटिव बैंकों को ताकत देना चाहते हैं।

किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान यथासमय हो, माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में गन्ने के मूल्य का भुगतान यथासमय मिलता था। परन्तु इस बीच मुझे प्रतिपक्ष से कई नोटिस देखने को मिले हैं कि गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है। अगर किसानों को गन्ने का मूल्य समय पर नहीं मिलेगा तो उसका प्रभाव यह होगा कि किसान गन्ना बोना बन्द कर देगा। यदि गन्ने का भुगतान समय पर नहीं होगा तो गन्ने की कमी हो जाएगी तो एक संकट पैदा हो जाएगा और हमने कहा कि गन्ने का कोल्हू लगाने पर किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, यह भी हमने कहा है। हम पशुपालन और दुग्ध उत्पादन पर भी जोर दे रहे हैं। दूध के भण्डारण के लिए चिलिंग प्लांट स्थापित किए जाएं। इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हम गोशाला बाहुल्य क्षेत्रों में गो–मूत्र केन्द्र की स्थापना कर गो–मूत्र का भी विपणन करेंगे, यह बहुत आवश्यक हो गया है। मेडिसिन की दृष्टि से, तो इस समय प्राइवेट व्यवसाय यह कार्य कर रहे हैं। हम, जिनके पास गोशाला है, लेकिन वह शुद्ध साफ गौ–मूत्र जमा करेंगे, उसकी चैकिंग हो और उसके विपणन की व्यवस्था होगी। बागवानी के दृष्टि से भी हमको बहुत काम करना होगा। हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल इस दृष्टि से बहुत काम कर रहा है। फल, फूल, जड़ी–बूटी, सब्जी, चाय, बांस, इस सब पर हमें काम करना होगा और उसके विपणन की व्यवस्था करनी होगी, ताकि लोग पलायन न कर सकें। हमने चौबटिया, रानीखेत स्थित गार्डन को बागवानी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित करने का मन बनाया है। चौबटिया पहले सेब के उत्पादन के लिए मशहूर था, लेकिन इस बीच में उसकी स्थिति काफी खराब हो गयी है। इसी प्रकार वन एवं पर्यावरण हमारी जीवन शैली के लिए आवश्यक है और वन पंचायतों की संख्या दुगनी की जाएगी तथा उनको वन विकास कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। कुछ वन ग्राम, राजस्व ग्राम, वन ग्राम के रूप में मशहूर हैं। आज वहां बहुत आबादी हो गयी है, हमें उन्हें राजस्व ग्राम घोषित करना पड़ेगा, ताकि जो राजस्व ग्राम को लाभ मिलते हैं वह उन्हें भी मिल सकें। इसी तरह हमें जो जंगली जानवर से जनहानि आदि होती है, उसकी उचित व्यवस्था हो सके, इसकी भी व्यवस्था करनी होगी।

पर्यावरण संरक्षण के एवज में हमें केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को ग्रीन बोनस के रूप में उचित धनराशि देने के लिए बात करनी होगी, निवेदन करना होगा और पर्यावरण के लिए उत्तराखण्ड को जाना जाए, उसके लिए ग्रीन बोनस की मांग की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि उससे हमें पूरा लाभ हो पाएगा। वन भूमि के कारण सड़क मार्ग के निर्माण में हमें जो कठिनाई होती है, उसे भी वार्तालाप के द्वारा पेड़ों का नुकसान किए बिना हमें उसकी भी व्यवस्था करनी होगी। चूंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्र से जो सदस्य चुनकर आते हैं उनके वहां वन भूमि के कारण सड़कें नहीं बन पाती हैं। सिंचाई के क्षेत्र में हमको बहुत काम करना होगा और जो पानी है उसका वितरण नहीं है खासकर पर्वतीय क्षेत्र में हमें अपनी गूलों को पक्का करना पड़ेगा और नए नलकूप हाईड्रम हौजों का निर्माण किया जाएगा। हौजों का निर्माण बहुत ही आवश्यक है, जिससे पानी का कलेक्शन हो, पुराने तथा नए नलकूपों के लिए बिजली कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन मिलने में बहुत समय लगता है, इसमें हमें प्रॉयरिटी देनी होगी ताकि नलकूप भी चल सकें और पुराने नलकूप की व्यवस्था भी ठीक हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा तो 'राइट टू एजूकेशन' यह भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार को परिभाषित कर रखा है लेकिन फिर भी हमारे सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं या बीच में छोड़कर चले जाते हैं, इसकी भी हम लोग चिन्ता कर रहे हैं कि प्राइमरी विद्यालयों में 90 फीसदी उपस्थिति पर उसको विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सभी रिक्त पदों को भरने के लिए हमें एक नीति तैयार करनी होगी। क्रमशः कैसे हम कई विद्यालय में साइंस के शिक्षक नहीं हैं, किस तरह उन्हें भरें और तमाम निर्माण स्थानों पर भी इंजीनियर्स नहीं हैं, उन पदों पर भी सीमाओं के अन्दर इसको भी करना पड़ेगा। जो अशासकीय विद्यालय हैं उनकी लगातार मांग है कि उन्हें अनुदान सूची में लीजिए या फिर प्रान्तीयकरण कर दें, इसके बारे में भी हमको कार्य करना होगा।

पुरोहिती, यहां आज यह भी दिक्कत आ रही है कि अगर हम पूजा कराने के लिए पुरोहित को ढूंढें तो उनकी भी कमी है। एक पुरोहित को खासकर नवरात्र के समय में दस–दस जगह पर जाना पड़ता है। इसकी शिक्षा पर हम सम्मान भी दें और प्रोत्साहन भी दें। संस्कृत विद्यालय हैं। यहां इनको छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाए ताकि पुरोहिती एक तरह के धार्मिक व्यवसाय के रूप में जुड़े और लोगों को कार्य मिले। हमें नए महाविद्यालय की स्थापना भी करनी है, महाविद्यालय स्तर तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का आकलन करना होगा कि मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसी तरह बी0पी0एल0, अन्त्योदय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को भी उच्च शिक्षा में हमें आर्थिक सहायता देनी होगी। भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक नया व्यवसायिक उच्च तकनीकी प्रशिक्षण विद्यालय खोलने का भी संकल्प हमने इसके माध्यम से लिया है, जिसमें 50 प्रतिशत छात्र उत्तराखण्ड से ही होंगे, यह भी उसमें शर्त लगायी गयी है। तकनीकी शिक्षा

के बारे में जो राज्यपाल जी के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है उसको पूरा करना पड़ेगा। आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक कालेजों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहां जितने उद्योग लगे हैं, जब हमने उस समय एक राजाज्ञा निकाली थी कि 70 प्रतिशत रोजगार देने होंगे तो उद्योगपतियों की यह शिकायत थी कि पॉलिटेक्निक और आई0टी0आई0 प्रशिक्षण प्राप्त यदि युवा हों तो उन्हें स्थान मिलेगा इसलिए उन्हें विशेष ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाएगी। उद्योग, रोजगार एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना होगा क्योंकि हमने यह संकल्प लिया है कि हम करीब ढाई लाख युवाओं को रोजगार देंगे पांच वर्ष में, तो पांच वर्ष में ढाई लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योगों में पॉलिटेक्निक, आई0टी0आई0 के आधार पर ट्रेनिंग प्राप्त नौजवानों को और यह अवसर मिलने पर हम उन्हें आमंत्रित करेंगे कि आपने 70 प्रतिशत रोजगार नहीं दिया। ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से आप रोजगार दे रहे हैं तो उन्हें सीधी नियमित सेवा में रखें यह भी हमारा दायित्व है, इस पर भी हमें कार्य करना होगा। इसके लिए हमें लघु कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना तकनीकी, जैव प्रौद्योगिकी, इन सबमें बैठकर मिलकर फैसला लेना होगा और रोजगार के अवसर खोलने होंगे। हमें पलायन रोकना होगा क्योंकि जो नई युवा पीढ़ी है जिसके लिए इस राज्य का गठन हुआ है तो हमारी मातृ शक्ति, हमारे कर्मचारी, हमारी युवा शक्ति, हमारे उन शहीदों ने जिन्होंने बलिदान दिया, उन शहीदों के बलिदान को हम ऐसे आसानी से नहीं जाने देंगे, हमको इसके लिए कार्य करना होगा और युवाओं के लिए रोजगार देना होगा। हमने यह भी निर्णय लिया है कि केन्द्र और राज्य सरकार के अनुदान से दो फूड पार्क की स्थापना करें।

मान्यवर, महिलाओं के लिए भी, महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनको भी हम सेवा में लेंगे, हमने पहले यह निर्णय लिया था पिछली सरकार में कि 30 प्रतिशत महिलाओं को नौकरी में जगह मिलेगी, लेकिन वह कोटा भरा नहीं गया तो बैकलॉग जो होगा उसको भी हमें भरना होगा। मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राज्य आन्दोलनकारी के कल्याण कार्यक्रम के लिए भी हम लोग चिन्तित हैं और उस पर भी हमें कार्य करना होगा, राज्य आन्दोलनकारियों की मांग है कि उनको कम से कम प्रमाण–पत्र तो दिया जाए, तो हमने यह निर्णय लिया कि उन्हें राज्य निर्माण सेनानी के नाम से जाना जाएगा और उसी नाम से उनको प्रमाण–पत्र दिए जाएंगे और शहीद स्थलों को राजकीय स्मारक के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया है। इससे पहले हमने वर्ष 2002 और वर्ष 2007 में यह निर्णय लिया था कि जो शहीद हुए हैं उनके नाम से सड़कों का, जहां के वे रहने वाले हैं और उन्होंने शहादत दी है उस नाम से सड़कें, विद्यालय, हॉस्पिटल किए जाएंगे, अब इसका आकलन करना होगा कि क्या उसका पालन हुआ है या नहीं हुआ है। मान्यवर, पत्रकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं और उनके लिए पूरे देश में और

विशेषकर उत्तराखण्ड में पत्रकार की भारी संख्या है, अखबार निकलते हैं, मैगजीनें निकलती हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो केन्द्र और राज्य में उपलब्ध मापदण्ड हैं उनका अनुसरण किया जाएगा, पत्रकार कल्याण परिषद् का गठन होगा, जिसमें पत्रकारों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और आर्थिक रूप से अक्षम, बीमार या दुर्घटनाग्रस्त पत्रकारों की सहायता के लिए राज्य में पांच करोड़ रुपये से पत्रकार कल्याण परिषद् का गठन किया जाएगा और आवश्यकतानुसार जो सरकारी आवास हैं और अन्य आवास हैं उनके संगठन की वरिष्ठता के आधार पर क्रमशः उपलब्धता के आधार पर आवंटित किए जा सकते हैं। मान्यवर, अधिवक्ता वर्ग की मांग रही है कि उनके लिए बार–कक्ष का निर्माण हो, ताकि सीनियर अधिवक्ता अपने साथियों के साथ बार कक्ष में बैठकर काम कर सकें। हम लोगों ने अधिवक्ता कल्याण कोष और बार कक्ष बनाने के बारे में भी निर्णय लिया है।

मान्यवर, पंचायत और निकाय के बारे में चौहत्तरवें संशोधन के अनुरूप इनको अधिकार सम्पन्न किया जाएगा, इस पर भी हमने निर्णय लिया है, विचार किया है। मान्यवर, शिक्षक कर्मचारी साथियों के लिए सार्वजनिक निगम, राज्य कर्मचारी इनको पांचवे, छठे वेतनमान में समान वेतनमान मिला, आगे भी इनको समान वेतनमान मिले यह भी हम लोगों का निर्णय है, क्योंकि निगम इसलिए बनाए गए थे कि वे अपनी आय से वेतन का बंटवारा करें पर आज कोई भी निगम, चाहे वह पहले उत्तर प्रदेश का हो और आज उत्तराखण्ड का है वह अपनी आय से वेतन या खर्चे नहीं चला पाता है। उनकी भी परिस्थिति सरकारी कर्मचारी जैसी हो गई है, तो केवल निगम में कार्य चलने के नाते उन्हें सजा न मिले और उन्हें भी बराबर वेतनमान की भागीदारी का लाभ मिले। एक महत्वपूर्ण समस्या जो उत्तराखण्ड में लगातार बनी जो अस्थाई, तदर्थ, वर्कचार्ज, ठेकेदारी प्रथा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, इनके बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हुए, इनको लेने के लिए, तो इनकी नियमितीकरण प्रक्रिया क्रमशः किस तरह लागू की जाए यह अनिवार्यता है कि 20–20 साल, 22–22 साल या 25 साल हो गए, वे आज भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में हैं, उन पर भी हमें विचार करना होगा, और कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई कठिनाई है, तो वहां भी हमको अपनी याचिका दाखिल करनी होगी और उनकी मदद करनी होगी। मान्यवर, जहां जोखिम भरी सेवाएं हैं वहां 20 साल ऐच्छिक सेवानिवृत्ति है, लेकिन वहां 15 साल की सेवा के उपरान्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अधिकार देने पर हम विचार करेंगे। समयबद्ध वेतनमान के अनुरूप पदनाम देकर पदोन्नति की गारंटी भी दी जाएगी, संविदा कर्मी जितने भी काम पर हों चाहे भोजन माताएं हों, ग्राम प्रहरी हों, शिक्षा आचार्य हों, शिक्षा मित्र हों, शिक्षा बन्धु हों और दैनिक कर्मी हों, वर्कचार्ज कर्मी हों और तदर्थ कर्मचारी हों, इनका भी चरणबद्ध तरीके से सरकारी सेवाओं में समायोजन करने की शुरुआत की जाएगी।

मान्यवर, इसी तरह से स्वास्थ्य है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय अस्पतालों की या मेडिकल कॉलेजों की हालत बहुत खराब है। गरीब और कमजोर को न दवा मिल रही है और न उनका इलाज हो रहा है। मेरी जानकारी में है कि ` 5 में तो उनका प्रवेश होता है मतलब ` 3 की फीस दें तो उनकी पर्ची कटे तब उनका प्रवेश होता है। ` 12 की पर्ची कटने पर उनका प्रवेश होता है। एक गरीब, जिसके पास ` 1 भी नहीं है, उसे ` 12 देकर उसकी पर्ची बनती है, तो आप अंदाजा लगाइये। मान्यवर, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, गरीब, कमजोर, निर्बल और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को हमें स्वास्थ्य सेवा मुफ्त देनी ही होगी। दवाएं मुफ्त देनी ही होंगी। मान्यवर, बी0पी0एल0 कार्ड को आधार माना जाता है, परन्तु सभी के पास बी0पी0एल0 कार्ड नहीं हैं, कई जगहों पर जो बी0पी0एल0 के अधिकारी हैं, उनके पास ए0पी0एल0 कार्ड हैं, बी0पी0एल0 कार्ड नहीं हैं। इस व्यवस्था को हमें सुधारना होगा। हर कीमत पर स्वास्थ्य सेवा अधिकार है आम आदमी का, कमजोर आदमी का। हमें डाक्टरों की कमी को सुधारना होगा, स्पेशिलिस्ट डाक्टरों की कमी है, व्यवस्था की कमी है, इन सबको सुधारना होगा। हमें अस्पतालों की हालत को ठीक करना होगा। हमने यह भी तय किया है कि 108 सेवा ने बहुत कार्य किया है। यह भारत सरकार की सेवा है इसका प्रत्येक रुपया, इसका आखिरी रुपया तक भारत सरकार देती है। कुछ लोगों ने इसे अपनी सेवा बता दिया था, लेकिन मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि इसका ` 1 तक जो अंतिम है, वह भारत सरकार देती है। यह भारत सरकार की योजना है, जो सफल रही, 108 सेवा के माध्यम से बहुत लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। मान्यवर, हमने अपना मन बनाया है, हम अपने संसाधन बढ़ाकर, इसमें बहुत ऐसे रोगी हैं, जिनको तत्काल सहायता की आवश्यकता है, उनके लिए एयर एंबुलेंस और एयर बोट, इन दोनों की व्यवस्था करेंगे, ताकि लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके। मान्यवर, 108 की सेवा को हमने एयर एंबुलेंस के रूप में आगे बढ़ाने का मन बनाया है। मान्यवर, इसी तरह ग्रामीण दाइयां हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक कोई प्राथमिक केन्द्र नहीं हैं, जहां पर महिलाओं को प्रसव पीड़ा से मुक्ति मिले, इसलिए हमें दाइयों को प्रशिक्षण देना होगा, उनको मानदेय देना होगा, उनकी प्राइमरी शिक्षा बढ़ानी होगी। मान्यवर, जो काफी पुरानी एवं होशियार हैं, उन पर हमें विश्वास करना होगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मान्यवर, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी पद्धति के लिए हम एक इंस्टीट्यूट बनाएं और इनका विकास करें। मान्यवर, हम स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर, स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने का प्रयास करेंगे, इसे सुधारना भी बहुत आवश्यक है।

मान्यवर, विद्युत की स्थिति भी बहुत खराब है, कब बिजली आती है और कब चली जाती है इसका लोगों को पता नहीं है। विद्युत कटौती की वजह से उद्योगों का पलायन

हुआ है। हम सिडकुल की बात करते हैं, माननीय तिवारी जी ने सिडकुल की स्थापना की और प्रदेश में देश–दुनिया के उद्योगपति आए, परन्तु विद्युत न मिलने से धीरे–धीरे इनका पलायन हो रहा है, इस पलायन को रोकने के लिए हमें विद्युत की व्यवस्था करनी होगी।

मान्यवर, खाद्य सुरक्षा बिल भारत सरकार लायी है और इसके माध्यम से हमें भरोसा है प्रदेश में कोई भूखा नहीं रहेगा और न ही कोई भूख से पीड़ित रहेगा, इसकी व्यवस्था भी हमने की है।

मान्यवर, सड़क यातायात की बात कर रही हूँ। सड़क पहाड़ की लाइफ लाइन है, पहाड़ जाने के लिए सड़क चाहिए और इस समय सड़कों की जो हालत है, दूसरी सड़कें तो छोड़िए, हल्द्वानी से भीमताल होकर नैनीताल जाना कठिन है, सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों पर जाम लगा रहता है। हमें सड़क यातायात को सुदृढ़ ही नहीं अच्छा करना होगा, अच्छी व्यवस्था करनी होगी, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। अगर सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो पर्यटक क्यों आएंगे चारधाम यात्रा पर? मान्यवर, पर्यटक नहीं आएंगे तो रोटियां कैसे मिलेंगी, इसलिए सड़क यातायात पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। मान्यवर, अभी चौरास का पुल टूटा, मुझे कष्ट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुल था। यह हमारी सरकार के समय स्वीकृत हुआ था, हमने मुम्बई से इसके एक्सपर्ट बुलाए थे, मुझे पता नहीं किससे बनवा रहे हैं, हम लोगों ने 250 बड़े पुल बनाए हैं, इन सबको ढंग से कार्य करना है, लेकिन बनते ही पुल टेढ़ा होकर उलट गया। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। आगे ऐसी क्या व्यवस्था है जिसमें इतने महत्वपूर्ण पुल, जो सारे रास्ते पर आने–जाने के लिए बने हुए हैं। चौरास का पुल काफी महत्वपूर्ण पुल है जो श्रीनगर विश्वविद्यालय और उस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुल था, पर यह टूट गया। इसमें मुझे चिन्ता भी हुई और मैंने विचार भी किया है। मान्यवर, आखिर क्या कमी रह गयी, हमने एक्सपर्ट बुलाए थे, उनका उपयोग हुआ या नहीं हुआ यह मुझे पता नहीं है, लेकिन सड़क, पुल और झूला पुल भी हमारी यातायात के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग मुझे कह रहे हैं कि आपका जिम्मा इन्दिरा हृदयेश जी ने ले लिया है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हैलीकॉप्टर सुविधा पहाड़ों में हो। पर्यटन विकसित हो। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून में बनना चाहिए। पंतनगर भी बड़ा हवाई अड्डा होना चाहिए, पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा भी विकसित होना चाहिए, गोचर का भी होना चाहिए, जो पुरानी पट्टियाँ बनी हुई हैं, उनकी मरम्मत हो जाती है लेकिन लोग मुँह निहारते रहते हैं, वह नहीं बन पा रहा है। वह भी आवश्यक है। शहरी विकास के लिए भारत सरकार

ने बहुत धन दिया। इसके लिए देहरादून और नैनीताल को चुना गया था। मुझे नहीं पता वह धन कहाँ चला गया। देहरादून और नैनीताल को अत्यन्त सुन्दर बन जाना चाहिए था।

मान्यवर, खेल बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जिसमें दुनिया के खिलाड़ी खेलने आएं, ऐसा स्टेडियम बनाया जाए। इसके लिए भी हमने प्रयास किया था। अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून में होना चाहिए और एक 36 एकड़ जमीन हल्द्वानी में ले ली गयी है, 100 एकड़ का इसमें प्राविधान है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम देहरादून में और दूसरा हल्द्वानी में बनाया जाए ताकि दुनिया के खिलाड़ी यहाँ आएं और खेल से उत्तराखण्ड जाना जाए।

यह खेल पर्यटन प्रदेश भी कहलाएगा। इसी तरह समाज कल्याण में गरीब, कमजोर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए हमने बहुत अधिक जोर दिया। भारत सरकार की अनेक योजनाएं हैं, समाज कल्याण की बहुत योजनाएं हैं, जो लागू नहीं हुईं। बैकलॉग की नियुक्तियाँ पूरी की जाएं। उन्हें रहने के लिए इन्दिरा आवास दिये जाएं और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की मद का इस्तेमाल किया जाए। जाति प्रमाण–पत्र और स्थाई प्रमाण–पत्र, इनमें बहुत बड़ी परेशानी है, इन पर अवश्य हमें विचार करना होगा, इनका सरलीकरण करना होगा।

सैनिक साथियों के बारे में कहना चाहूँगी। कुमाऊँ और गढ़वाल रेजीमेंट होने की वजह से यहाँ पर सेना के कई साथी रिटायर होकर रहते हैं, तो इन सैनिकों को हमें पूर्ण सुविधाएं देनी होंगी, उनको सेवाओं में लेना होगा ताकि उनका जीवन यापन सही तरह से हो सके। कुशल लोगों से सेवा में लिया जाएगा। पेयजल के बारे में कहना चाहूँगी। पेयजल बहुत बड़ी समस्या है। हमारी पूर्व सरकार में पेयजल मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी जी थे, इन्होंने हैण्डपम्पों की बाढ़ लगा दी थी, वह अब सूख गए हैं। उनको रिचार्ज करना होगा। यह सड़क के किनारे लगाए गये थे क्योंकि और जगह नहीं लग सकते थे लेकिन इससे पानी की सुविधा हो गयी थी। पेयजल मंत्री के रूप में इनका एक सराहनीय कार्य यह रहा था। हमारे जो स्रोत जल विहीन हो गए हैं, उन्हें रिचार्ज किया जा सकता है। पानी पर बहुत ध्यान देना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर कलेक्शन भी करना होगा, यह बहुत जरूरी है। पर्यटन पर हमने बहुत अधिक जोर दिया है कि यह पर्यटन प्रदेश बने, इसकी सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ पर्यटन प्रदेश की हैं। शिक्षा में भी पर्यटन हो, खेल में भी पर्यटन हो और पेयजल का भी पर्यटन हो। इस प्रकार हमें पर्यटन को केन्द्र बिन्दु बनाना होगा। पर्यटन के माध्यम से हम हर हाथ को काम देंगे। मैं पर्यटन की बहुत बड़ी समर्थक हूँ। चार धाम को विकसित करना होगा। यह बहुत साफ सुथरा और सुन्दर प्रदेश है। साहसिक पर्यटन और शिक्षा, इन सबको पर्यटन के साथ जोड़कर हमें काम करना होगा। इस दिशा में हमको भारी प्रयास करना होगा। हमारे यहाँ टिहरी

में लेक बनी है। यह अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र बने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भारत सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री जी से मिले थे, उन्हें पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह पर्यटन प्रदेश के रूप में जाना जाएगा और पर्यटन के माध्यम से यहाँ की आय बढ़ेगी और पलायन रुकेगा। मान्यवर, परिवहन भी बहुत आवश्यक है। हमारी बसों की हालत अच्छी होनी चाहिए। हम दक्षिण भारत से तुलना करते हैं तो वहाँ पर बसों से हजारों हजार किलोमीटर यात्रा की जाती है, अच्छी बसें होती हैं, पर्वतीय क्षेत्र में भी मान्यवर, साहित्य, कला एवं लोक संस्कृति, यह भी हमारे अभिन्न अंग हैं तथा जो हमारे पुराने वाद्य यंत्र हैं और जो उनका प्रयोग करते हैं, उनको भी हमें आर्थिक पैकेज देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, क्योंकि हमारे साथी, इससे अधिक नहीं सुनेंगे। (हँसी)

*श्री हेमेश खर्कवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, काफी मामले माननीय इन्दिरा जी ने विस्तार से रखे, और कुछ कहने के लिए नहीं छोड़ा। मगर बहुत सी बातें जो मुझको लगता है कि उन्हें भी होना चाहिए था, उन पर मैं माननीय नेता सदन और माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, जो जाति प्रमाण–पत्रों की बात की गई और बाद में स्थाई निवास प्रमाण–पत्र की भी बात आई, उसमें कहीं न कहीं एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी विधान सभा के तराई के क्षेत्रों टनकपुर और बनबसा के नौजवान, जब सरकारी रिक्तियों के पदों पर आवेदन करते हैं तो वह मेरे पास आते हैं कि तहसीलदार और एस0डी0एम0 के पास चल दीजिये, क्योंकि हमारा स्थाई निवास प्रमाण–पत्र नहीं बन पा रहा है, तो दिल को बहुत पीड़ा होती है। इसके लिए कहीं न कहीं समयबद्ध कार्यक्रम देकर एक नीति बनानी होगी और उनको राहत प्रदान करनी होगी।

मान्यवर, अभिभाषण में उल्लेख किया गया कि पिरान कलियर शरीफ और हेमकुंड साहिब को चार धाम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी अच्छा होगा कि जब बजट तैयार हो, उस समय माता पूर्णागिरि का मन्दिर भी इसमें शामिल हो, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है। जो वर्तमान में चल रहा है और इसमें 50 हजार से 1 लाख तक श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। हर वर्ष सरकारें इस मेले के लिए अलग से अनुदान जिला पंचायत और नगर पालिका को देती थीं, लेकिन विगत 2–3 वर्षों से एक भी रुपया अनुदान उस मेले के आयोजन के लिए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सरकार प्रयास करे कि इस मेले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए, पूर्णागिरि माता का मन्दिर शारदा नदी के तट पर है और यह नदी रिवर राफ्टिंग के लिए भी हिन्दुस्तान की सर्वश्रेष्ठ नदियों में शुमार है। इसे पर्यटन से भी जोड़ा जाए, ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है। मान्यवर, जहाँ तक उत्तराखण्ड के नौजवानों की बात है, जिन्होंने इस उत्तराखण्ड राज्य की लड़ाई लड़ी और ये लोग बड़ी आस से देख रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी, लेकिन जो पुरजोर तरीके से वादा हम लोगों ने किया था कि जो उद्योग–धन्धे यहाँ पर लगेंगे, उसमें 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को दिये जाएंगे। आज सरकार को यह चैक करना पड़ेगा कि 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को दिया गया है या नहीं। ठेकेदारी व्यवस्था को दूर करना होगा, जो सुविधाएं कर्मचारियों को मिलनी चाहिएं, वह मिल रही हैं या नहीं, कहीं कर्मचारियों का शोषण तो नहीं हो रहा है, इन सब बातों को देखना होगा।

माननीय इन्दिरा जी ने अभी पत्रकारों के कल्याण के बारे में कहा, मैं मात्र राजनैतिक फायदा लेने के लिए यह बात नहीं कह रहा हूँ। जहाँ तक पत्रकारिता और पत्रकारों की बात है तो मुझे लगता है कि जो स्थानीय पत्रकार हैं, सबसे ज्यादा उनका शोषण होता है। आज एक हजार से दो हजार तक के मानदेय पर पत्रकार कार्य कर रहे हैं। यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन अखबारों में, जिन पत्रकार समूहों में लाखों और करोड़ों रुपये के विज्ञापन दिये जाते हैं, उनमें जो पत्रकार कार्य कर रहे हैं, उनको उचित मानदेय दिया जा रहा है या नहीं, उनके हितों की रक्षा हो रही है या नहीं। क्योंकि यह पत्रकार बहुत दूर से पैदल चलकर आते हैं और गाड़–गधेरों की खबरें लेकर आते हैं, जो वास्तविक समस्याओं को सामने लाते हैं, उनके हितों का संरक्षण हो रहा है या नहीं, इसे सरकार को देखना चाहिए।

मान्यवर, मैं उम्मीद करूँगा कि ये सारी बातें क्योंकि मैं तैयारी से नहीं आया था, यहाँ बैठे–बैठे जो मेरे मन में बातें आयीं, मैंने रखीं। मगर यह अन्यथा लेने की बातें नहीं हैं। इन बातों पर नेता सदन विचार करें। राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत बढ़िया बातें कही गयी हैं। सरकार के कार्यक्रमों का आईना यह राज्यपाल का अभिभाषण है। मगर मान्यवर, सरकार की नीतियाँ कितनी अच्छी हों, सरकार के कार्यक्रम कितने अच्छे हों, जब तक इनको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आज जो अधिकारी आते हैं तो देखा जाता है कि कौन हमारे हिसाब से काम करेगा। अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए कि ये कार्यक्रम चल रहा है, आपको रिजल्ट देना है, नहीं तो आपको जाना होगा। अधिकारियों की क्या, हालांकि मंत्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है अगर मंत्री भी कोई कार्यक्रम को लेकर आते

हैं कि ये कार्यक्रम चला रहे हैं तो उनको टाइम बांड बताना पड़ेगा कि इतने समय में इसके परिणाम आएंगे। जब तक हम जिम्मेदारी को सुनिश्चित नहीं करेंगे। मैं 2002 से 2007 तक उत्तराखण्ड की प्रथम निर्वाचित विधान सभा का सदस्य रहा। मान्यवर, कभी–कभी मन को बड़ी पीड़ा, बड़ी टीस होती थी, हम सचिवालय में किसी अधिकारी को पत्र लिखते थे तो उसका जवाब तक नहीं मिलता था। मान्यवर, आपका भी संरक्षण इसमें चाहिए। अगर किसी सचिव को हम किसी काम के लिए पत्र लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उस पत्र पर क्या हुआ, हमारे पत्र पर क्या कार्यवाही हुई, निर्णय हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। आज नेता सदन यहाँ बैठे हैं, ये देखेंगे कि जो निर्वाचित सदस्य यहाँ चुनकर आए हैं इनकी जनता के प्रति जवाबदेही है। बहुत मेहनत होती है। यह अधिकारी भले ही एक बार मेहनत करते हैं उसके बाद रिटायरमेंट तक बैठ जाते हैं। मान्यवर, हमें तो हर पाँच साल में अपना लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है और कभी–कभी तो पाँचों साल करना पड़ता है, कुछ पता नहीं रहता। कम से कम जब जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है तो हमको उन सवालों को, जिन सवालों को हम सदन में उठाते हैं या सीधे सचिवालय में अधिकारियों के सामने उठाते हैं। उन लोगों को उन सवालों में क्या एक्शन सरकार ने लिया, क्या उत्तर अधिकारियों ने दिया, इसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। मान्यवर, मैं आभारी हूँ आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। राज्यपाल के अभिभाषण में, मैं सोच रहा था, एक और चीज का जिक्र होता। वैसे तो पूरा उत्तराखण्ड सीमान्त राज्य है। मैं बिल्कुल नेपाल बार्डर, जिसकी 90 किलोमीटर सीमा नेपाल से मिलती है। उस विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस अभिभाषण में भले ही न हो, लेकिन आने वाले बजट में जितना भी सीमान्त क्षेत्र है। सीमान्त विकास प्राधिकरण को सशक्त करके उसके लिए अलग से धन की व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, जब हम सीमान्त के गाँवों में जाते हैं और नेपाल के गाँवों में बिजली को जगमगाता देखते हैं और अपने गाँवों में अंधेरा देखते हैं तो कहीं न कहीं तो हम विकसित देश होने का दावा करते हैं उसमें कहीं न कहीं संदेह पैदा होता है। आज उन सीमान्त के पूरे इलाकों में पूरा टनकपुर से लेकर धारचूला तक सीमा पर रहने वाले लोग अस्कोट मृग विहार के नाम पर विकास से वंचित हो जाते हैं। इसके लिए इस अभिभाषण में भले ही स्थान नहीं पाया हो मगर सरकार को सोचना होगा कि कैसे हम उन सीमान्त क्षेत्र के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ें, उनको विकास के साथ लेकर चलें। मान्यवर, ज्यादा समय नहीं लूँगा बहुत से मेरे मित्रों को कहना होगा। बधाई देता हूँ नेता सदन को कि नेता सदन ने आज सदन में बहुमत भी प्राप्त किया। ये 39 की संख्या आने वाले समय में 50 तक भी पहुँच सकती है। मगर नेता सदन को सदस्यों की भावनाओं का, सदस्यों द्वारा विधान सभा में उठाये जाने वाले मुद्दों के निराकरण का कार्य करना

होगा। जो बातें सदन में सदस्य उठा रहे हैं, उसकी गम्भीरता को देखते हुए मान्यवर, हम लोग गाँव–गाँव जाकर लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं। अभी स्वास्थ्य की बात की माननीय इन्दिरा जी ने, एन0आर0एच0एम0 में बहुत पैसा हमको मिलता है। पर 108 या आजकल एक आल्टो गाड़ी चली है, खुशियों की सवारी। इन गाड़ियों में 25–25 हजार में आल्टो, जाँच होनी चाहिए। मान्यवर, आज 12, 14 हजार में मैक्स और मार्शल गाड़ियाँ मिलती हैं, ये गाड़ी ` 25 हजार में किसने लगायी? क्या यह एन0आर0एच0एम0 के पैसे का दुरुपयोग नहीं है ? मान्यवर, भले ही हम एन0आर0एच0एम0 के पैसे को खर्च करके अपनी पीठ थपथपा लें। ` 12 का पर्चा कोई बड़ी बात नहीं है। आप ` 12 का पर्चा अस्पताल में ले जाने के बाद उसको जनता की भलाई का रूप दे दो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय खर्कवाल जी, समय का ध्यान रखें।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, यह महत्व के विषय हैं ताकि सरकार उसके अनुसार अपने कार्यक्रम और नीतियाँ बनाएगी। यह शुरुआती दौर है। अगर हम इस समय अपना माइण्ड मेकअप कर लें। हम क्या परिणाम देंगे, हमें विशेषज्ञ डाक्टर चाहिए। हम 2008 में डाक्टरों के लिए लोक सेवा आयोग में आवेदन करते हैं और 2011 तक जिसका रिजल्ट नहीं आता है। क्या तीन–तीन साल डाक्टर इन्तजार करेगा नियुक्ति पाने के लिए? हमें तत्काल नियुक्ति देनी होगी। यह सिफारिशें बन्द करनी होंगी कि सारे के सारे डाक्टर मैदानी क्षेत्र में रहें। चार–चार साल तक चम्पावत जैसे जिले के जिला मुख्यालय में महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हुई, सौभाग्य से मेरी धर्मपत्नी भी चिकित्सक है, मुझे उसको स्वयं ट्रान्सफर करके चम्पावत ले जाना पड़ा। आज यह सुनिश्चित करना होगा जितनी भी पी0ए0सी0 हैं उनमें अनिवार्य रूप से कम से कम दो महिला चिकित्सक हों ताकि एक चिकित्सक नाइट ड्यूटी में रहे। आज यह व्यवस्था इस सरकार ने करनी है, इस सरकार को बहुत काम करने हैं और उन कामों के लिए थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो 2012 में जो विश्वास मत हमने प्राप्त किया है और 2017 में भी हम विश्वास मत प्राप्त करेंगे। मान्यवर, आपकी तरफ से भी समाप्ति के निर्देश दिये जा रहे हैं इसलिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए यह उम्मीद करता हूँ, जो बातें सदन में मैंने चर्चा के दौरान कही, माननीय नेता सदन इनको संज्ञान में रखते हुए आने वाला जो बजट होगा जब हम चर्चा कर रहे होंगे बहुत सी बातें उस बजट में होंगी। मान्यवर, मैं इस महामहिम राज्यपाल महोदय के बजट अभिभाषण का समर्थन करता हूँ

श्री अध्यक्ष–

भोजनावकाश तक ही हम इस विषय को लेना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि कई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखेंगे, इसलिए प्रत्येक सदस्य के लिए 07 मिनट की समय सीमा रखी गयी है।

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय इन्दिरा जी ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव पर जो उद्धरण दिये हैं, उसमें त्रुटि के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे समझा दिया जाए। पृष्ठ–17 पैराग्राफ–3 में दिया गया है कि बी0पी0एल0 परिवार की बालिकाओं की शादी के लिए कन्या धन योजना लागू करते हुए पचास हजार रुपये की धनराशि दिये जाने की बात है और पृष्ठ–20 के अन्तिम पैराग्राफ में कहा गया है कि गरीब परिवार के अल्पसंख्यक कन्या के विवाह हेतु राज्य सरकार पच्चीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कार्यवाही करेगी। मान्यवर, या तो यह उसके अतिरिक्त है, बी0पी0एल0 तो दोनों ही हैं, या यह मुद्रण की त्रुटि है। मान्यवर, इस राज्यपाल के अभिभाषण की आलोचना की जा सकती होती तो निश्चित रूप से हमारे विपक्ष के साथी यहाँ पर उपस्थित होते। मेरे अन्य वरिष्ठ साथी अभी सरकार की नीति की विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे, इसलिए मैं अधिक नहीं कहना चाहता। मैं तो आज इस सदन के ऐतिहासिक दिन, जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने संसदीय परम्पराओं की गरिमा का ध्यान रखते हुए राज्यपाल द्वारा निर्देशित न होते हुए भी विश्वास के मत को प्राप्त करने की परम्परा का निर्वहन किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उनके संसदीय परम्पराओं के प्रति इस सम्मान के लिए उनका सम्मान करना चाहता हूँ और उनको धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मान्यवर, आज मेरे हृदय को चोट पहुँची है मैंने उस समय उचित नहीं समझा अब मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से यह विनम्र पीड़ा उनके सामने रखना चाहता हूँ, जब यह सदन, एक ऐसे व्यक्ति, जो जनसंघ के समय से, जो उस समय से, जब जनसंघ का जन्म भी नहीं हुआ था और भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, उन मूल्यों के लिए संघर्ष करता रहा हो, हम जिनके राजनैतिक जीवन को भाजपा और जनसंघ के रूप में जानते हों, जब उसको यह सदन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हो। उस समय उसी दल के लोग श्रद्धांजलि अर्पण के लिए इस सदन में उपस्थित न हों। इस परम्परा को मैं उचित नहीं मानता हूँ। मैं आपके माध्यम से उनकी इस अनुपस्थिति के लिए निश्चित रूप से ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा। इस परिवार का सदस्य होने के नाते शास्त्री जी के निधन से मुझे हार्दिक पीड़ा हुई है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन्दिरा जी द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और यह विश्वास व्यक्त करता हूँ कि पिछले पाँच साल से इस विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया गया

और जिस तरीके से महत्वपूर्ण योजनाओं के धन का दुरुपयोग किया गया वे समस्त चीजें ठीक भी की जाएं और दोषी लोगों के खिलाफ, उस तरीके से बदलापूर्ण कार्यवाही तो नहीं की जाए जैसे पाँच साल पहले भाजपा के लोगों ने की थी। जहाँ वास्तव में गलती हो वहाँ पर आगे से गलती न हो, जनता के और सरकार के धन का दुरुपयोग न हो, निश्चित रूप से प्रभावी कार्यवाही हमारी यह सरकार सुनिश्चित करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, सरकार की आज की ऐतिहासिक विजय के लिए बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वह सक्षम रूप से कार्य करते हुए अपना कार्यकाल पूरा करे, धन्यवाद।

*श्री दिनेश धनै–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जो सरकार ने संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से जो एजेंडा रखा है। उस पर सरकार का पर्यटन की तरफ से ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा कि टिहरी बाँध विश्व का नम्बर एक बाँध है और टिहरी में जो 45 किलोमीटर की झील है वहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है। और उसकी संभावनाओं की तलाश करते हुए भी उसे इस एजेंडे में भी सम्मिलित करें और मुझसे पूर्व भी सम्मानित खर्कवाल जी ने भी कहा कि जो मूल निवास और स्थाई निवास की संभावनाएं हैं। जो पहाड़ी मूल के निवासी हैं उनके साथ एक छलावा भी है, उनके साथ धोखा भी है। चूंकि उनको इस प्रक्रिया में दो–दो बार गुजरना पड़ता है। वह दो–दो बार पटवारी के चक्कर लगाते हैं तो इस नीति में थोड़ा संशोधन किया जाए। मूल निवास या स्थाई निवास में से कोई एक प्रमाण–पत्र मान लिया जाए। क्योंकि पहाड़ के जो बेरोजगार भोले–भाले लोग हैं वे दूर–दराज क्षेत्र से आते हैं। वे लोग पहले मूल निवास बनाते हैं और फिर स्थाई निवास प्रमाण–पत्र बनाना पड़ता है। इसलिए इन दोनों में यह संशोधन किया जाए। ताकि उनको दो प्रमाण–पत्र न बनाने पड़ें यानी इन दोनों में से किसी एक को मान लिया जाए। यह संशोधन इसमें किया जाए। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ और धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। जय हिन्द।

श्री हरक सिंह रावत–

सम्मानित माननीय अध्यक्ष जी, तृतीय विधान सभा के अध्यक्ष पीठ पर आप निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सम्मानित अध्यक्ष जी, इस तृतीय विधान सभा के समस्त सदस्यों को, दुर्भाग्य से हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य अभी यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन उनको भी आपके माध्यम से और इस सदन में नव निर्वाचित सदस्यों को मैं दिल की गहराइयों से बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सब लोग प्रदेश की बहुत उम्मीद के साथ और उस गरीब जनता की उम्मीदों के साथ, नौजवान के संघर्ष की उस पीड़ा के साथ, दलितों और अल्पसंख्यकों की जो सम्मान और स्वाभिमान की भावना है, उसको समाधान तक पहुँचाने के लक्ष्य को लेकर तृतीय विधान सभा के सदस्य के रूप में हम सबको भेजा है इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने महामहिम राज्यपाल जी के भाषण का बड़ी गहराई से अध्ययन किया और माननीय अध्यक्ष जी, जब काँग्रेस का घोषणा–पत्र बन रहा था उसमें एक सदस्य के रूप में भी मैंने उस घोषणा–पत्र को बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और उसका एक–एक अक्षर मेरे सामने है और चुनाव के दौरान भी इस प्रदेश की जनता के बीच में हमेशा एक ही बात कही है कि काँग्रेस का चुनावी घोषणा–पत्र जो एक खाली कागज का पुलिन्दा नहीं है ये काँग्रेस का कार्यक्रम एवं नीतियों का एक दर्पण है और अगर काँग्रेस की सरकार को प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से काँग्रेस की सरकार इस घोषणा पत्र को अक्षरशः पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कानून व्यवस्था का राज स्थापित करना। मैं जब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठा था मैंने नेता विरोधी दल के रूप में हमेशा इस बात को कहा कि प्रदेश की सरकार की पहली जिम्मेदारी है अमन चैन पैदा करना, कानून का राज स्थापित करना, भाईचारा पैदा करना। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, मैं नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ चूँकि ये एक जज भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने हमेशा माननीय हितों की लड़ाई एक वकील के रूप में लड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक जज के रूप में, एक वकील के रूप में और एक सांसद के रूप में जो उन्होंने हमेशा कानून के लिए पैरवी की है जंगलराज के खिलाफ, अपराधीकरण के खिलाफ हमेशा से उन्होंने संघर्ष किया है मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में उन्होंने इच्छा शक्ति व्यक्त की है मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए जिस तरह से चर्चाएँ हुई थीं कि इस सरकार के पास बहुमत नहीं है लेकिन जिस तरह से विराम लगाते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया है तो यह निश्चित रूप से सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का द्योतक है, परिचायक है और निश्चित रूप से उत्तराखण्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था स्थापित करने में सफल होगी। हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि यह सरकार प्रदेश की जनता को, चाहे वे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे वे गरीब हों, चाहे वे अल्प संख्यक भाई हों जिस तरह से पिछली सरकार में प्रदेश के अंदर जगह–जगह दंगे हुए और आतंकवाद की गतिविधियाँ हुईं उससे निश्चित रूप से प्रदेश का माहौल बिगड़ा है उस बिगड़े हुए माहौल, चाहे हरिद्वार के अंदर हो, चाहे ऊधमसिंह नगर के अंदर हो, चाहे सेलाकुई में आतंकवादी को पकड़े जाने की घटना हो, या हमारी माता–बहनें जिस तरह से बाजार में निकलती है चेन छीन ली जाती है, लूटपाट की तमाम घटना हुई हैं और हत्याएँ भी हुई हैं इन सबपर विराम लगेगा और एक स्वच्छ कानून व्यवस्था का राज होगा। जंगलराज समाप्त होगा। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रीतम सिंह पंवार जी, आप बोलें।

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। मान्यवर, आप मेरे साथ सदस्य के रूप में रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजीशन के रूप में प्रिविलेज की आदत थी, वो आदत शायद अभी गयी नहीं है, वो आदत जाने में शायद अभी थोड़ा समय लगेगा। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री श्रीमती अमृता रावत जी और श्री दिनेश अग्रवाल जी और श्री प्रीतम सिंह जी कह रहे थे कि रावत जी, आपका जो 3–3 घण्टे का भाषण होता था तो आज लगता है कि श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी इसकी प्रतिपूर्ति कर रही हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं तीन घण्टे नहीं बोलूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, किसी सरकार की दूसरी जिम्मेदारी होती है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना। माननीय अध्यक्ष जी, यह नया राज्य है और इस नये राज्य में गाँव के आम गरीब तक तभी योजनाओं का लाभ पहुँचेगा जब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम पिछले पाँच सालों में इस लड़ाई को लड़ते रहे कि इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, बिहार की तर्ज पर, आज तो बिहार उस तर्ज से हट गया लेकिन उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यह उत्तराखण्ड जैसा नया राज्य भ्रष्टाचार के दलदल में डूबता चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे भूमि से सम्बन्धित हो, हाईड्रो प्रोजेक्ट से सम्बन्धित हो, दैवीय आपदा से सम्बन्धित हो, कुम्भ मेले से सम्बन्धित हो, तमाम योजनाओं के लिए चाहे भारत सरकार से करोड़ों–अरबों रुपया आया हो, चाहे विश्व बैंक से आया हो, चाहे अरबन डेवलपमेण्ट बैंक से आया हो, चाहे एशियन डेवलपमेण्ट बैंक से आया हो, तो तमाम पैसा इस प्रदेश में आया है वह कहीं न कहीं इस प्रदेश के आम गरीब तक नहीं पहुँचा है, वह योजनाएं उन बिचौलियों के हाथों में गयी चाहे वे सरकार में बैठे लोग हों, चाहे वे प्रशासन में बैठे लोग हों, उनके माध्यम से वे योजनाएं समाप्त हो गई हैं, वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि माननीय बहुगुणा जी की यह सरकार इस प्रदेश में और मैं, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने अनेक अवसरों पर जब हम विपक्ष में थे तो हमने इस बात को कहा है कि काँग्रेस की सरकार आने के बाद जिन मुद्दों पर हमने सी0बी0आई0 की जाँच की माँग की, इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था। मान्यवर, चाहे कुम्भ मेले का घोटाला हो, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट का घोटाला हो, चाहे ऋषिकेश का भूमि घोटाला हो, चाहे तराई बीज विकास निगम का घोटाला हो, हमने इसके लिए तमाम जगह धरने–प्रदर्शन किये थे कि

इसके लिए सी0बी0आई0 की जाँच होनी चाहिए और हमने कहा था कि जिस दिन काँग्रेस की सरकार आएगी तब इनकी सी0बी0आई0 की जाँच कराएंगे, हमें पूरा विश्वास है और हमने कहा था कि इस प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा और जो भ्रष्टाचारी हैं, निश्चित रूप से उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारियों के लिए जगह इस सदन में नहीं होनी चाहिए, सचिवालय में नहीं होनी चाहिए, उनके लिए जगह जेल में होनी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने का काम करेगी, जिससे प्रदेश के उन गरीबों को, उन अल्पसंख्यकों को, उन बेरोजगार नौजवानों को, जिनके हित की योजनाएं उन भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गई। तब उनको चैन मिलेगा, प्रदेश की गरीब जनता को तब चैन मिलेगा जब ऐसे लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ता के साथ केवल खड़ी ही नहीं होगी, उनके खिलाफ केवल लड़ाई ही नहीं लड़ेगी बल्कि उन अपराधियों को जेल भिजवाने का काम करेगी यह मुझे पूरा विश्वास है।

माननीय अध्यक्ष जी, जिस महामहिम जी के अभिभाषण में अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि तहसीलों का गठन होना चाहिए, जिलों का गठन होना चाहिए, मैं राजस्व मंत्री रहा हूँ पं0 नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में। मैंने हमेशा यही इच्छा व्यक्त की और हमने हमेशा लड़ाई लड़ी, उत्तराखण्ड राज्य के लिए, और इसलिए हमने उत्तराखण्ड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी कि लखनऊ में बैठकर हमारे प्रदेश के नौजवान को, प्रदेश की जनता को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। इसलिए हमने कहा कि छोटा राज्य होना चाहिए। मान्यवर, इसलिए काँग्रेस पार्टी और यह सरकार प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की पक्षधर है, और जो इच्छाशक्ति महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में दिखाई दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेश का मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए। मान्यवर, केवल राजनीतिक उद्देश्य से तहसील, ब्लॉक और जिलों का निर्माण नहीं होना चाहिए, जनता को लाभ के दृष्टिकोण से हम पूरे प्रदेश का पुनर्गठन करें। मान्यवर, पूरे प्रदेश में कितने जिले होने चाहिए, कितनी तहसीलें होनी चाहिए, कितने विकास खण्ड होने चाहिए, ताकि प्रदेश की आम जनता को लाभ पहुँच सके। मान्यवर, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार इन पाँच सालों में नए जिलों का निर्माण केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि जनता के हित में नए जिले, तहसील और ब्लॉक का निर्माण करेगी। मान्यवर, जहाँ तक उत्तराखण्ड के अन्दर जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात है तो उत्तराखण्ड के अंदर 60 प्रतिशत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राजस्व पुलिस के हाथ में है। अगर हम सिविल पुलिस को मजबूत करके फिर पुनर्गठन करते तो इससे प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित नहीं हो पाएगा। मान्यवर, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का राज तभी स्थापित होगा जब हम प्रदेश की राजस्व पुलिस

का भी पुनर्गठन करेंगे। उनमें भी गतिशीलता लाएंगे। मान्यवर, एक पटवारी के पास एक डण्डा भी नहीं होता है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, राजस्व क्षेत्र में अपराध होते हैं, कत्ल होते हैं। मान्यवर, यह सही है कि एक जमाने में हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कत्ल नहीं होते थे, अपराध नहीं होते थे, लेकिन धीरे–धीरे पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ राजस्व पुलिस का क्षेत्र है, वहाँ पर अपराध हो रहे हैं।

मान्यवर, मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्व पुलिस का भी हम पुनर्गठन करेंगे, यह इच्छाशक्ति भी सरकार ने दिखायी है। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि के क्षेत्र में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, यातायात के क्षेत्र में कहा है। मैं पेयजल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से पेयजल आज एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है, यह बहुत बड़ी चुनौती है। जहाँ हम एक ओर कहते हैं कि उत्तराखण्ड में देश की तमाम नदियाँ गंगा, जमुना और रामगंगा जैसी नदियां बहती हैं। मैं रुद्रप्रयाग सीट से चुनकर आया हूँ, पहले मेरा घर श्रीनगर, अलकनन्दा नदी के किनारे है। हम कहते हैं कि तमाम नदियाँ उत्तराखण्ड से होकर गुजरती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस उत्तराखण्ड की जनता प्यासी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तराखण्ड की जनता की प्यास को बुझाने का कार्य करेंगे, यह हमारा संकल्प है। मान्यवर, विकास की पहली सीढ़ी यातायात होती है और गाँवों को सड़क तक जोड़ने का संकल्प भी इस सरकार का होगा।

मान्यवर, इस सरकार ने माननीय मंत्रियों, विधायकों और निश्चित रूप से जितने अधिकारियों ने परिसम्पत्ति की घोषणा की है, यह कानून होना चाहिए, यह प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। मान्यवर, जब मैं नेता विरोधी दल था, तब मैंने अपने साथी तमाम विधायकों को पत्र लिखकर निर्देशित किया था कि आप अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा निश्चित रूप से दें। मान्यवर, इसमें प्रिविलेज नहीं होना चाहिए कि हम दें या न दें। जब चुनाव होते हैं तब हम चुनाव आयोग को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देते हैं। मान्यवर, हम प्रदेश की जनता में यह संदेश देना चाहते हैं कि यह सरकार पारदर्शी है, भ्रष्टाचारमुक्त है तो निश्चित रूप से हमें अपनी परिसम्पत्तियों का ब्यौरा देना होगा।

मान्यवर, दैवीय आपदा एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, चूंकि मैं दैवीय आपदा मंत्री भी रहा हूँ। मान्यवर, जोन–5 और जोन–6 जो भूकम्प की दृष्टि से बहुत ही सेंसटिव होता है, हमारा प्रदेश इस जोन में है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन पाँच सालों में दैवीय आपदा के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य करेगी। मान्यवर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, इनकी योजनाओं के लिए कार्य करेगी। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में हम तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कहना

चाहता हूँ कि निश्चित रूप से बहुत कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मान्यवर, आज यदि पब्लिक स्कूलों की शिक्षा को छोड़ दिया जाए तो आज प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा है, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, चूंकि आज कम्प्टीशन का युग है, इस युग में यह बहुत कारगर नहीं है।

मान्यवर, मैं निश्चित रूप से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक मास्टर प्लान हमको पूरे प्रदेश का बनाना होगा। हम किस तरह से विकास इस प्रदेश का करें। हमने अभी केवल दून घाटी और हरिद्वार का मास्टर प्लान तैयार किया है। उसी तरह पूरे प्रदेश का मास्टर प्लान तैयार करें कि कहाँ सड़क बनायी जाए, कहाँ स्कूल खोले जाएं। हमारी तमाम योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए। निश्चित रूप से मैं महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण का, जो इच्छाशक्ति और जो संकल्प इस राज्यपाल के अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी और इस सरकार ने दिखाया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मंत्रिमण्डल के तमाम सदस्यों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभी आपको विभाग तो नहीं मिले हैं, अभी आप सभी विभागों के मंत्री हैं। (व्यवधान) माननीय इन्दिरा जी को छोड़कर किसी को विभाग नहीं मिले हैं।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्रीमती इन्दिरा हृदयेश तथा माननीय मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी जी द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

मान्यवर, तृप्त होना भी नहीं चाहिए। राजनीति में महत्वाकांक्षी होना बहुत जरूरी है। जो महत्वाकांक्षाहीन व्यक्ति होता है, वह स्वयं पर भी बोझ होता है, परिवार पर भी बोझ होता है, समाज पर और पार्टी पर भी बोझ होता है। महत्वाकांक्षी होना चाहिए लेकिन महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी न हो कि वह समाज पर और प्रदेश पर भारी पड़ जाए। (व्यवधान) माननीय इन्दिरा जी को अभी अतृप्त ही रहने दो। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय इन्दिरा हृदयेश जी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी जी द्वारा उसका समर्थन किया गया। मैं महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण का स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। मान्यवर, राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का नीतिगत दस्तावेज होता है। सरकार की आगामी नीति और कार्यक्रम क्या हैं, यह दर्शाता है। क्योंकि महामहिम का यह अभिभाषण सरकार का पहला अभिभाषण है और हमारे कार्यक्रम क्या होंगे, विकास के कार्यक्रम क्या होंगे, नीतियाँ क्या होंगी, पूरे पाँच साल और आने वाले टाइम के लिए, इनका जिक्र इसमें किया गया है। इस अभिभाषण में जो कार्यक्रम दिए गए हैं, वे स्वागत योग्य हैं किन्तु मैं कुछ चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मान्यवर, बहुत आवश्यक है कि इस राज्य निर्माण

के पीछे जो अवधारणा थी, उत्तराखण्ड राज्य एक बहुत लम्बे संघर्ष के बाद, यहाँ के शहीदों के जो सपने थे, उनके अनुरूप आज तक जो कार्य नहीं हुए हैं, उस दिशा में कुछ कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। मान्यवर, सबसे पहले जो आज ज्वलंत समस्या है और वही राज्य बनने से पहले भी थी। अवधारणा थी कि हमारा राज्य बनेगा, शासन सत्ता अपने लोगों के हाथ में होगी और बेरोजगारों का जो पलायन हो रहा है, वह पलायन रुकेगा। आज पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे प्रमुख समस्या पलायन की है, उसके लिए हमें ठोस नीति बनानी पड़ेगी। आज यहाँ पर रोजगार की बात अभिभाषण में की गयी है। लेकिन हम प्रतिवर्ष कितने बेरोजगारों को कहाँ–कहाँ रोजगार देंगे, इसका विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में जो उद्योग लगे हैं, उनमें स्थानीय बेरोजगारों को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया जा रहा है। यह तय किया जाना चाहिए कि कम से कम 80 प्रतिशत जिलेवार प्रत्येक उद्योग में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और उनको प्रशिक्षित भी किया जाए। मान्यवर, हमारे प्रदेश में जो उपसुल बना है, इसमें विभागवार जो नियुक्तियाँ हुई हैं, उनमें बहुत धांधली हुई है। बहुत ज्यादा शिकायतें मिली हैं। कल हम इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और उसमें अब आगामी नियुक्तियों तक रोक भी लगा दी गई है, लेकिन उसमें जो धांधली हुई है, उसकी निश्चित रूप से जाँच होनी चाहिये, क्योंकि बेरोजगार का सलेक्शन मैरिट के आधार पर होना चाहिये, किसी सिफारिश के आधार पर सलेक्शन नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में पर्यटन की बात आती है, तो जो हमारे चार धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनके अलावा हम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए हैं और चार धाम यात्रा में भी लोग आस्था के नाम पर आते हैं, यदि उन स्थानों पर सुख–सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा एक या दो हजार ही लोग आ पाएंगे। चार धाम यात्रा मार्ग की जो बदहाल स्थिति है, उसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है, मेरा यह अनुरोध है कि जो आगामी चार धाम यात्रा है, उससे पहले यात्रा मार्ग की सड़कों को दुरुस्त किया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो।

मान्यवर, इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में विशेष कार्य करने की आवश्यकता है, हमारे उत्तराखण्ड में पर्यटन की अपार संभावनायें हैं, लेकिन हम लोग इसके लिए सही तरीके से प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं, जिन्हें पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है, यदि सरकार के पास पैसा नहीं है तो पी0पी0पी0 मोड में कार्य करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मान्यवर, औद्योगिक पैकेज को बढ़ाने की बात यहाँ पर नहीं आ पाई है, निश्चित तौर पर औद्योगिक पैकेज बढ़ाया जाना चाहिये और भारत सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज आना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकार को भी अपनी ओर से पैकेज देना चाहिए, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में भी कच्चा माल आधारित उद्योग लग सकें और बेरोजगारों को वहीं पर

रोजगार मिल सके। मान्यवर, जब उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण की बात आती है तो मैं यह कहना चाहूँगा कि पूर्व में जो चिन्हीकरण हुआ है, उसमें भेदभाव हुआ है। ऐसे भी लोगों का उसमें चिन्हीकरण हुआ है, जो आन्दोलनकारी ही नहीं थे, बल्कि वे आन्दोलन के विरोधी भी थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो वास्तविक आन्दोलनकारी हैं, उनका चिन्हीकरण आज तक नहीं हो पाया है, ऐसी नीति हमको बनानी चाहिए और हम बनायेंगे कि आन्दोलनकारियों का सही तरीके से चिन्हीकरण करें और उनको समुचित सम्मान दें।

मान्यवर, आज यदि हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों की जो बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वह किसी से छुपी हुई नहीं हैं। अस्पताल पहले तो हैं नहीं और यदि कहीं पर हैं भी तो वहाँ पर डाक्टर नहीं हैं, इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। आज हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पताल मात्र रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया समाप्त करें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मुझे दलीय आधार पर पाँच मिनट और समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि सभी को समान रूप से सदन में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करेंगे। मान्यवर, मैं सबसे पहले महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, यह अभिभाषण हमारी सरकार का प्रतिबिम्ब है, जिसमें प्रदेश के विकास के लिये तमाम कल्याणकारी योजनाओं को इंगित किया गया है। मैं इसके लिये नेता सदन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और पूरे मंत्रिमण्डल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अभिभाषण में दूर दृष्टि का परिचय दिया है।

मान्यवर, मैं इस अभिभाषण के पेज 13 के बिन्दु संख्या 5 पर इंगित अपनी पीड़ा को दर्शाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आया हूँ जो कि एक सीमान्त और हिमालय से जुड़ा हुआ जनपद है और सीमान्त जनपदों की यही पीड़ा हम महसूस करते हैं। मान्यवर, कि कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमें उपेक्षा का शिकार बनना पड़ता है। महामहिम के अभिभाषण के पेज नं0 13 में उल्लेख किया गया है टिहरी में मेडिकल कॉलेज

की स्थापना, पिथौरागढ़ में नेचुरोपैथी कॉलेज तथा उत्तरकाशी में यूनानी चिकित्सा पद्धति महाविद्यालय, रानीखेत में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी मैं सराहना करता हूँ, लेकिन अपनी पीड़ा भी व्यक्त करना चाहता हूँ। गैरसैंण में केवल दाई प्रशिक्षण संस्थान करने का इसमें कोई उल्लेख है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी पीड़ा को आप समझ सकते हैं। मैं इस शेर के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, इस शायरी के साथ कि ''मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझे मेरी चाहत के सिवाय कुछ न मिला।'' माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग सभी सम्मानित सदस्य तो आज सदन के सदस्य हैं उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण जब हुआ मैं समझता हूँ कि तमाम माननीय सदस्य, उसमें सब की भागीदारी थी। एक नारा दिया जाता था ''आज दो, अभी दो, उत्तराखण्ड राज्य दो।'' हम लोग उत्तर प्रदेश से जो उपेक्षित होते थे पहाड़ी जनपदों का जो नियोजन था एयर कन्डीशन्ड कमरों में किया जाता था। यह पीड़ा हम सब लोगों के सामने थी। उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों की जो भावनाएं थीं कि पहाड़ी जनपदों का किस तरह से विकास हो सके। मैं इस सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूँ उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों की जो भावना थी, निश्चित रूप से गैरसैंण को केन्द्रित करके थी। आज मैं किसी आयोग पर सदन में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आयोग का विषय हो सकता है कि राजधानी का गठन, स्थायी राजधानी का गठन कहाँ हो, लेकिन मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला दो जगहों पर हो सकती है, जम्मू–कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू में हो सकती है, महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई और नागपुर में हो सकती है। तो उत्तराखण्ड का ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में क्यों स्थापित नहीं किया जा सकता है।

मैं इसके लिए निवेदन करना चाहूँगा हमारे गढ़वाल के माननीय सांसद श्री सतपाल महराज जी के प्रयासों से और आप सबके प्रयासों से ` 88 करोड़ राजधानी के लिए स्वीकृत हुआ है। इसमें से कुछ धनराशि को ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में स्थापित किये जाने हेतु प्राविधानित किया जाए। इससे निश्चित रूप से जो हमारे उत्तराखण्ड के आंदोलनकारियों की भावना थी, उस भावना का सम्मान हो सकेगा, यह निवेदन सदन के माध्यम से करना चाहता हूँ। मान्यवर, वैसे भी हमारा जनपद, जनपद चमोली, उत्तरकाशी जनपद, रुद्रप्रयाग जनपद, पिथौरागढ़, चम्पावत, ये सीमा से जुड़े हुए हैं और हम लोग सीमा के प्रहरी के रूप में भी हैं। पूरे प्रदेश और पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर होती है। यदि सत्र वहाँ पर स्थापित किया जाता है तो निश्चित रूप से पहाड़ों की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उनका संज्ञान भी हमारे मंत्रिमण्डल के सम्मानित सदस्यगणों को और जो हमारी मशीनरी है, उसको भी होगा, और पहाड़ का समग्र विकास होगा, मान्यवर, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ चारधाम से निश्चित रूप से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, आज विश्वभर से तमाम श्रद्धालु यहाँ पर किसी न किसी धार्मिक भावना

से आते हैं। यहाँ पर हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे धाम और पिरान कलियर से लेकर हेमकुंड साहिब तक इन धामों में लोग आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा जो धार्मिक आयोजन होता है वो हिमालयी क्षेत्र में नन्दा देवी राजजात यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा आयोजन होगा जिसमें 280 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और एक महीने तक इसका आयोजन किया जाता है। सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि कुम्भ की तर्ज पर इसका आयोजन किया जाए तथा प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार से भी निवेदन किया जाए कि इसमें बजट का प्राविधान किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभिभाषण का समर्थन करते हुए उसकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि जिलों के पुनर्गठन की बात की गयी है। लम्बे समय से क्षेत्रीय जनता द्वारा चान्दपुर गढ़ी विकास खण्ड एवं तहसील के सृजन की मांग की जाती रही है। उसको इसमें समाहित करने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती सरकार ने सीमान्त विकास प्राधिकरण का गठन किया था, उसका विधिवत् गठन करके उसका मुख्यालय गैरसैंण में स्थापित किया जाए। (मेजों की थपथपाहट) हमारे सम्मानित साथी इसका समर्थन कर रहे हैं इसलिए मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मान्यवर, मेडिकल कॉलेजों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ आज स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आई है, हम चाहते हैं जो छात्र यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे उनकी नियुक्ति का बॉण्ड ले लिया जाए कि कम से कम तीन साल वह पहाड़ी जिलों में काम करें। (व्यवधान) इसी के साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

*श्री ललित फर्स्वाण–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड की तीसरी विधान सभा में पहली बार हमें बोलने का मौका मिला। इसके लिए नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हेमेश खर्कवाल और आदरणीय बड़े भाई श्री हरक सिंह रावत जी ने जो बात रखी, उत्तराखण्ड में कहीं न कहीं ज्वलन्त समस्याएं हैं, उनका निदान त्वरित गति से हो नहीं पा रहा है। इससे कहीं न कहीं आज पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, ऐसा लगता है कि समाप्त हो रही हैं, विघटन की ओर जा रही हैं। हमारा एक सुझाव है कि पूर्ववर्ती काँग्रेस की सरकार में कपकोट विधान सभा क्षेत्र, जो जनपद बागेश्वर का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ कहीं न कहीं पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर हो सकते हैं, उसको भी इस अभिभाषण से सम्बद्ध करते हुए उसकी ओर भी ध्यान

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देना चाहिए था, क्योंकि जो पिंडारी का ग्लेशियर है, काफनी ग्लेशियर है, हीरामणि ग्लेशियर है और जो अन्य ग्लेशियर हैं वह प्रमुख पर्यटन स्थल हो सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ के भाइयों को हमारे, स्थानीय बहिनों को रोजगार मिल सकता है, उस रोजगार से सम्बद्ध करते हुए उनकी समस्याओं के निदान लिए पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए पिंडारी ग्लेशियर से लेकर, काफनी ग्लेशियर से लेकर, हीरामणि ग्लेशियर तक इसको महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सम्मिलित करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि यह क्षेत्र जनपद बागेश्वर का दूरस्थ क्षेत्र है वह आज भी कहीं न कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्याओं से रूबरू हो रहा है। उन समस्याओं के निदान में हमें इन 50 सालों के अन्तर्गत कोई गति नहीं देखने को नहीं मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है कि जो क्षेत्र खाद्यान्न की समस्याओं से आज भी 50 साल से जूझ रहे हैं। जो खाद्यान्न की व्यवस्था हम लोग करते हैं, लगातार पिछले 10–15–20 सालों से, वह आज भी वहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रही है। यह कहीं न कहीं सरकार की विफलता का कारण बनता जा रहा है। मेरा एक सुझाव है कि जो पिछले 10–15 सालों से यह व्यवस्था करते आ रहे हैं, जिस खाद्यान्न का ढुलान ठेकेदार करते हैं वह गाँव तक नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर कहीं न कहीं ढुलान की व्यवस्था पैदल, घोड़े, खच्चरों और बकरी के माध्यम से है। कहीं न कहीं ठेकेदार का एक माध्यम होता है वह स्थानीय जनता को देने के बजाय अपने स्वार्थ के लिए बाजार में खाद्यान्न को ऊँचे दामों में बेचता है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलती है। आज भी 50 से 60 किलोमीटर जहाँ चार दिन, पाँच दिन राशन बिकता है, जो अति दुर्गम क्षेत्र हैं, चाहे वहाँ पर अध्यापक रहते हैं, चाहे वहाँ कहीं जनता हो, चाहे वहाँ के काश्तकार हैं, इसमें मेरा सुझाव है कि वहाँ के लिए खाद्यान्न नीति बहुत ही अच्छी बने। वहाँ के क्षेत्र को पर्यटन के व्यवसाय से जोड़ा जाए। उस क्षेत्र को हम लोग व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास करें। यहाँ पर भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा चीन और तिब्बत से लगती हैं, सामरिक दृष्टि से भी यह कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हो न हो, देर सबेर वहाँ के युवाओं को कहीं ऐसी गतिविधियों की ओर अन्य देशों के लोग आकर्षित करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि शीर्ष प्राथमिकता से इन क्षेत्रों के लिए एक ऐसी अच्छी नीति बने और उस अच्छी नीति के तहत चाहे खड़िया से सम्बन्धित व्यवसाय हो या स्थानीय क्षेत्रों से सम्बन्धित व्यवसायों को देखते हुए शीर्ष प्राथमिकता से उन्हें इस अभिभाषण में सम्मिलित करना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व में आदरणीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में मेरे विधान सभा क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की बात कही गयी थी। आज भी वहाँ के लोग 50 से 90 किलोमीटर की दूरी तक पैदल चलते हैं, ऐसी समस्याओं को देखते हुए इसमें सम्मिलित करना चाहिए। मान्यवर, जो वहाँ के बेरोजगार लोग हैं जो विशिष्ट बी0टी0सी0 या बी0एड0 करके आ गये हैं। लेकिन यहाँ पर उपनल एक ऐसी

संस्था बना दी गयी है। वह अपना काम वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारा निवेदन है कि ऐसी संस्था से वहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करायें। शिक्षा के अवसरों को प्रदान करने के लिए हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने, शिक्षा प्रोत्साहन व्यवस्था की बात हमारे अभिभाषण में की है कि शिक्षिकों को प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। यह बहुत अच्छा प्रयास है। जो दुर्गम क्षेत्र में अध्यापक कार्य कर रहे हैं, वह बहुत कम वेतन में भी पठन–पाठन का कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये लोग ऐसे क्षेत्रों में कई वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनके मन में टीस पहुंचती है कि हम लोग इस अतिदुर्गम क्षेत्रों में कई वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। हमें कोई सरकार के माध्यम से कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है। आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में यह बहुत अच्छा सुझाव आया है कि हम लोग प्रोत्साहन राशि देंगे। हम लोग इसका करबद्ध तरीके से स्वागत करते हैं और उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन दुःख तब होगा जब यह धनराशि वहाँ के लोगों को नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए यह प्रोत्साहन धनराशि को सरकार उन तक कब तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। अन्त में मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूँ धन्यवाद।

*श्रीमती शैला रानी रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नये विधायक के रूप में मैं इस हाउस में सभी माननीय विधायकों का अभिवादन करती हूँ और बड़े उत्साह और उमंग से हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि का जो व्यवहार होना चाहिए, मर्यादित व्यवहार, वह यहाँ पर देखने को नहीं मिला, उसके लिए मैं जरूर चाहूँगी कि हम नये लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाए और जो गरिमा और मर्यादा है एक जनप्रतिनिधि की उसके लिए यहाँ पर एक वातावरण जरूर बनाने का प्रयास किया जाए। (हंसी) प्रतिपक्ष का, हमने यह देखा कि जो जितना ज्यादा बोल सकता है और कहा जाता है कि दबंग होना चाहिए, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, वह दबंगई यहाँ पर प्रतिपक्ष की ओर से देख रहे हैं। उसमें कुछ न कुछ उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में सुधार होना चाहिए। यह हम सबको सोचना चाहिए। मान्यवर, जिन लोगों ने हमको चुनकर भेजा है वह यह सब कुछ टी0वी में देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है। मैं, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, जो यह विकास का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। मैं इसके लिए जरूर चाहूँगी कि धरातल पर भी शासक और प्रशासकों की भी दृढ़ इच्छा शक्ति इसमें हो, इसके साथ ही मेरे क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो कि इस अभिभाषण से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं इस हाउस की बात करूंगी कि इसके लिए जो विधान सभा का भवन है वह बहुत ही अपर्याप्त है, इसमें मुझे तो बहुत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही घुटन सी लगी है, इसलिए जल्दी ही विधान सभा भवन बनाया जाए और इसके साथ ही यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाए। मैं, यहाँ पर नयी सदस्य हूँ और यहाँ पर क्या रखा जाता है और क्या नहीं रखा जाता है ? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। (हंसी) (कई माननीय सदस्यगण एक साथ अपने स्थान पर बैठे बोलने लगे)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जरूर कहूँगी कि महिलायें बहुत मुश्किल से जीत के यहाँ पर आती हैं, बातें महिलाओं के लिए बहुत बड़ी होती है, सहानुभूति बहुत होती है, लेकिन अवसर नहीं मिलता है। मान्यवर, जब बोलने की बात आती है तो आप जरूर हम पर भी कृपा करेंगे। आज पर्यटन की बात आ रही है, इसमें जनपद रूद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम की बात करूंगी जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आदमी वहाँ पर आते हैं। उसी से सम्बन्धित बातें हैं, सबसे पहले तो जो नदी प्रदूषण हो रहा है, जिसमें पूर्व सरकार ने बहुत बड़े घोटाले किए हैं। जो सफाई से सम्बन्धित है, सफाई कर्मचारी की अगर बात करूं तो वह ठेके पर आते हैं और उस ठेके में भी भारी कमीशन दिया जाता है। इस कमीशन में जब मैंने सफाई कर्मचारी से पूछा कि तुम यात्रियों से पैसे क्यों मांगते हो ? तो उन्होंने कहा है कि ` 50–50 हजार दिया है ठेकेदार ने सरकार को, नियमित होने के लिए, तो मेरी यह माँग है कि सफाई कर्मचारी नियमित होने चाहिए और साथ ही घोड़े खच्चर का व्यवसाय वहाँ पर है। मेरी विधान सभा से 60 प्रतिशत यात्री केदारनाथ यात्रा के लिए जाते हैं तो उनके लिए वहाँ पर कोई भी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। पिछली बार बहुत बड़ी बीमारी फैली थी तो बहुत सारे घोड़े–खच्चर मर गए और अभी हवाई सेवाओं की बात आई तो हवाई सेवा का एक तो विकास की बात जरूर है लेकिन हम उससे प्रभावित भी हैं। हमारे यहां 7 कम्पनियां काम कर रही हैं और एक दिन में 40 फ्लाइट जाती हैं उससे हमारे पशु, पक्षी और हमारा पर्यावरण तो प्रभावित हो ही रहा है जिससे हमारी गाय–भैंस दूध नहीं दे रही हैं, उन पर जरूर कुछ न कुछ अंकुश होना चाहिए ताकि वहां का जनजीवन प्रभावित न हो और इस तरह का इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि हवाई सेवाएं भी हों और वे हमारे विकास, पर्यावरण को प्रभावित न करें और केवल उनका कमाई का जरिया न हो।

इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में तो हमारे यहां बहुत कम डॉक्टर्स हैं इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि जितनी जल्दी व्यवस्था हो सके डॉक्टर्स की व्यवस्था कर दें। एक दिन में डॉक्टर पैदा नहीं हो सकता है लेकिन हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी यह व्यवस्था हो और इसमें सुधार हो। हमारे यहाँ की जतना की यह आशा है कि नई सरकार कुछ न कुछ करेगी और इसके साथ ही आपदा प्रबन्धन भी मेरे जिले में बहुत ही लुंज–पुंज स्थिति में है, बाकी जिलों में भी होगा। आज भी एक दुर्घटना हुई है मेरे यहाँ तो उनका फोन नहीं है जो आपदा प्रबन्धन की टीम है वह फोन उठता ही नहीं है और खुद ही आपदा प्रबन्धन टीम को ही राहत देने की जरूरत है। यह व्यवस्थित

होनी चाहिए। क्योंकि हमारा क्षेत्र भूकम्प प्रभावित क्षेत्र है, ओलावृष्टि होती है, दैवीय आपदाएं होती हैं। अक्सर रोज कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है इसलिए यह व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और आपदा प्रबन्धन टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा बिन्दु हमारे यहां चमोली जनपद, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा, श्रीनगर से होकर सड़क जाती है तो सिरोबगड़ में हर समय पूरा मोटर मार्ग बाधित रहता है। हमारे यहां खाद्यान्न की कमी हो जाती है और पूरा जन–जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है तो इस पर जो भी कार्ययोजना हो रही हो उसमें तुरन्त कार्य किया जाए और इसके साथ ही कुम्भ घोटाले की जांच जरूर होनी चाहिए क्योंकि कुम्भ घोटाले में पैसों का घोटाला हुआ ही, साथ ही हमारे यहां जो कृषक हैं उनका पूरा भविष्य चौपट हो गया। कुम्भ से जो बंदर भेजे गए बहुत मोटे–मोटे, वे आज भी कृषि कार्य को प्रभावित कर रहे हैं लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। अभी हमारे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में सहायता प्राप्त विद्यालयों की बात आई कि उनका प्रान्तीयकरण किया जाए लेकिन इसमें एक बिन्दु छूट गया है कि जो सर्वशिक्षा अभियान है उसके अन्तर्गत पर्याप्त पैसा है किसी प्रकार की बजट की कमी नहीं है लेकिन इन विद्यालयों को उनके अन्तर्गत नहीं रखा गया। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जो मानक आते हैं उनमें इन विद्यालयों को भी रखा जाए। इसके साथ ही हमारे यहाँ वन अधिनियम की बात जो आ रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनसे जरूर अनुरोध करना चाहूँगी इस बारे में, कि आज तक बहुत सारी सड़कें रुकी पड़ी हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र सेन्चुरी एरिया है उसके कारण हम सड़क नहीं बना पा रहे हैं। एक पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़क है उसमें पुल नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए वन अधिनियम में शिथिलता होनी चाहिए। दो गाँव ने चुनाव का बहिष्कार किया जो आपके पास आ गया होगा सरकार के पास। वहाँ की महिलाओं की पीड़ा है कि बिजली नहीं लग पा रही है, पेयजल की लाइन नहीं लग पा रही है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगी कि आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज आपने अपनी गरिमा को रखते हुए पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और हम सकारात्मक विकास की ओर बढ़े। धन्यवाद।

*श्री प्रदीप बत्रा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे यहां बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, यहाँ पर हुई चर्चा से मुझे ज्ञात हुआ है कि केन्द्र से आई योजना प्रदेश में लागू नहीं हो पाती हैं, तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हरिद्वार जिले के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा एक हॉस्पिटल स्वीकृत किया गया था, इसके लिए जमीन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और वह हॉस्पिटल आज तक पता नहीं क्यों नहीं बना और उसमें क्या हुआ है, श्रम मंत्रालय द्वारा हरिद्वार के लिए ` चार सौ करोड़ भेजा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया। मान्यवर, जमीन का प्रस्ताव भेजा गया था और शासन द्वारा कार्यवाही नहीं की गई और उन्होंने इतना लम्बित किया है और वहां पर इन्डस्ट्रियल एरिया होने के कारण अस्पताल की बहुत आवश्यकता है और वह योजना स्वीकृत हो चुकी है इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि यह योजना जल्द लागू हो और रुड़की में, हरिद्वार जिले में एक बड़ा अस्पताल श्रम मंत्रालय ई0एस0आई0सी0 द्वारा बनाया जाए। मान्यवर, रुड़की को जिला बनाने की मांग भी बहुत अरसे से चली आ रही है, इसके लिए कई बार विद्रोह भी हुआ और कई बार मैं समझता हूँ कि सरकार द्वारा प्रयास भी किया गया है, लेकिन आज तक रुड़की को जिला नहीं बनाया गया है, इसलिए इसकी मैं पुरजोर मांग करता हूँ। मान्यवर, इसके अलावा अभी मैं महामहिम के अभिभाषण में सुन रहा था और माननीय मंत्री श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड में एक बड़ा इण्टरनेशनल स्टेडियम बनाने का प्राविधान है, तो इस बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इसके लिए एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था इण्टरनेशनल स्टेडियम बनाने का और उसके लिए जमीन की उपलब्धता भी दर्शाई है, जमीन उपलब्ध है फिर भी आज तक नहीं हो पाया है, तो हरिद्वार जिले में स्टेडियम बनाया जाए, इसके लिए भौगोलिक दृष्टि से हरिद्वार जिला सक्षम है और अगर यहां पर इण्टरनेशनल स्टेडियम बनेगा तो सबको लाभ मिलेगा क्योंकि एयरपोर्ट भी पास है और इससे बहुत नाम हो, तो मैं यह कहना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज आपने विश्वासमत हासिल किया और हम वादा करते हैं कि इनके साथ कन्धे से कन्धा और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और पूरे पांच साल सरकार काम करेगी और उत्तराखण्ड में विकास की ओर अग्रसर होगी। धन्यवाद।

*श्री हरीश धामी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ, लेकिन आपका ध्यान और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा विधान सभा क्षेत्र दो–दो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है और वहाँ पर आज भी आजादी के 65 वर्ष बाद भी हमारे विधान सभा के क्षेत्र के लोग मोटर मार्ग के लिए त्रस्त हैं और जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसमें जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वे उनसे वंचित हैं। मान्यवर, मैं जब अपने क्षेत्र धारचूला में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि काली नदी के पास नेपाल जैसे छोटे से राष्ट्र में गाड़ियां चल रही हैं और गाँव बिजली से जगमगा रहे हैं लेकिन मेरे क्षेत्र के गाँव मृग विहार के गाँव विद्युत से वंचित हैं और मोटर मार्ग से वंचित हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगला जो व्यापक बजट सत्र चलेगा उसमें मेरे क्षेत्र का, मृग विहार की जो सीमा है इसको कम कर दिया जाए। मान्यवर, दूसरी बात, जो हमारा क्षेत्र

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है वह पूरा क्षेत्र दैवीय आपदा से ग्रस्त क्षेत्र है, जिसको कि उत्तराखण्ड सरकार ने जोन फाइव में रखा है, लेकिन आज भी उस क्षेत्र में जो दैवीय आपदा से ग्रस्त लोग हैं, उनके पुनर्वास के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगले बजट सत्र में मेरे क्षेत्र में दैवीय आपदा से जो ग्रस्त लोग हैं उनके पुनर्वास की नीति बनाकर उनका पुनर्वास कराया जाए। मान्यवर, एक समस्या मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में चाहे लॉ छेकला जहां वर्ष 2009 में जो आपदा आई थी उसमें पूरा गाँव ध्वस्त हो गया था उसमें जो 43 लोगों के प्राणों का बलिदान दैवीय आपदा में हुआ था आज भी उनकी जो पूरी कृषि दैवीय आपदा में बह गई थी, आज भी जो उन्होंने कृषि के नाम पर लोन लिया था उसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप तत्काल अपने प्रभाव से उस कार्यवाही को रोकें और उन पर जो कृषि लोन है उसको माफ करने की कृपा करेंगे और आपसे निवेदन करूंगा कि जो मेरा सीमान्त क्षेत्र है, जो कि दोनों अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं उसके लिए आप राज्य सरकार की ओर से और केन्द्र की ओर से एक विशेष पैकेज की व्यवस्था करेंगे जिससे कि मेरे सीमान्त क्षेत्र के लोग वहाँ पर अपने रोजगार के लिए, अपनी आजीविका के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे कि वे वहाँ से पलायन न कर सकें। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि मेरा जो क्षेत्र है वह नेपाल और चाइना बार्डर से लगा हुआ है तो वहाँ के अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया तो आने वाले समय में उसका परिणाम बड़ा घातक हो सकता है, चूंकि आज आप देख रहे हैं पूरा नेपाल माओवाद से ग्रस्त है और चाइना चाहता है कि वह भारत की सीमा को अपने कब्जे में ले ले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के बेरोजगार लोगों के लिए कोई ऐसा सुलभ अवसर दे दिया जाए, जिससे कि उनका ध्यान चाइना और नेपाल में जो माओवादी गतिविधियां चल रही हैं उन पर केन्द्रित न होने पाए। अन्त में, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार इस विधान सभा में, मैं चुनकर आया और आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

*श्री विक्रम सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम के अभिभाषण का हर बिन्दु प्रशंसनीय है और निश्चित रूप से नेता सदन की जो उत्तराखण्ड के विकास की जो अवधारणा है, और जो उनकी नीतियां हैं, वह पूरी तरह से इस अभिभाषण में दिखाई दे रही हैं। मान्यवर, मैं कम समय में अपनी बात को कहना चाहता हूँ, लेकिन एक अनुरोध के साथ, चूंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूँ, जोकि पूरा एक ससब्ज क्षेत्र था और देश के विकास के लिए, देश को रोशनी देने के लिए उस क्षेत्र ने अपना बलिदान और कुर्बानी दी है। मान्यवर, यहाँ 70 किलोमीटर लम्बी झील बनने के कारण, पूरे क्षेत्र के लोगों को समस्याओं का सामना करना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ा है। मान्यवर, अभिभाषण में जिला, ब्लॉक और तहसीलों के गठन के बारे में कहा गया है, निश्चित तौर पर पूर्व में, मैं ब्लॉक प्रमुख था। मेरा विकास खण्ड दो विधान सभाओं में विभाजित था, जिसका एक हिस्सा नदी के पार और दूसरा हिस्सा नदी के वार है, भविष्य में जब कभी ब्लॉक बनाने की बात आए तो इसका भी ध्यान रखा जाए। मान्यवर, टिहरी बाँध की झील को पर्यटन से जोड़ने के लिए जो संकल्प लिया गया है, निश्चित तौर पर यह सरकार का स्वागत योग्य कदम है, इसके साथ ही चूंकि वहां पर 42 वर्ग किलोमीटर झील है और इसमें मत्स्य पालन का बहुत बड़ा व्यवसाय किया जा सकता है और ठण्डे जल की मछली और इतनी हाइट पर जो मछली पैदा होगी वह एक्सपोर्ट क्वालिटी की मछली भी पैदा हो सकती है, इसलिए मत्स्य पालन को भी भविष्य में इससे जोड़ा जाए। मान्यवर, जब कभी भी टिहरी बांध को पर्यटन से जोड़ने का मास्टर प्लान बनेगा तो वहां के जनप्रतिनिधियों की सलाह भी इसमें ले ली जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का टिहरी में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, चूंकि यह वहाँ की बहुत पुरानी और लम्बी माँग थी। टिहरी में संग्रहालय खोलने के लिए भी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, चूंकि 125 गाँव टिहरी के जलमग्न हुए हैं, उनकी पहचान मिट गयी है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र का शहीद मॉडल तैयार कर संग्रहालय में रखा जाए।

मान्यवर, पूर्व में, मैं बोलना चाहता था, जो स्व0 शास्त्री जी और स्व0 श्री विद्यासागर नौटियाल जी का निधन हुआ है, यह दोनों मेरे क्षेत्र से थे और स्व0 श्री विद्यासागर नौटियाल जी का गाँव माली देवल बहुत ही ससब्ज और बहुत ही अच्छा गाँव था और यह पुरानी टिहरी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर था, मैं उनको भी इस सदन के माध्यम से और चूंकि उन्होंने टिहरी बाँध के विरोध के आंदोलन में बहुत लम्बा समय दिया और उनके गाँव का भी साइन मॉडल तैयार होगा और टिहरी संग्रहालय में रहेगा, यह मैं आशा करता हूँ। मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में लिखा हुआ है कि विस्थापितों की लम्बित माँगों का निस्तारण एक साल के अन्दर होगा, यह भी स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मदनेगी एक ऐसी जगह है, जहाँ झील के ऊपर लगभग 100 परिवारों के मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए हैं। आदरणीय बहुगुणा जी ने उस क्षेत्र का भ्रमण भी किया है। मैं चाहता हूँ कि उनकी माँगों को भी इससे जोड़ दिया जाए। मान्यवर, दैवीय आपदा के कारण उत्तराखण्ड के अधिकांश गाँव ऐसे हैं, जिनके विस्थापन की बात कई सालों से चल रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, निश्चित तौर से काँग्रेस का इतिहास विकास का इतिहास रहा है, लोगों को लाभ पहुँचाने का इतिहास रहा है। मान्यवर, इस नीति को बनाया जाना चाहिए कि हर बार की तरह पेपर की विषय वस्तु न रहे, इस बार ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि दैवीय आपदाओं के कारण जिन गाँवों में रहना दुर्लभ हो गया है, उनको किसी तरह से लाभ पहुँचे, उनके विस्थापन की नीति बने। मान्यवर, भवानी भाई के नाम पर, क्योंकि भवानी भाई दलित परिवार में जन्मे बहुत ही गाँधीवादी

विचारधारा के नेता थे, उन्होंने समाज में हमेशा छोटे तबके के लोगों की सेवा की। वे मेरे क्षेत्र ओवल पट्टी के देवल गाँव के रहने वाले थे। इनके नाम पर निःशुल्क भोजनालय और छात्रावास की स्थापना की बात कही गयी, निश्चित तौर पर यह एक स्वागत योग्य कदम है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेगी जी, कृपया समाप्त करें।

श्री विक्रम सिंह नेगी–

मान्यवर, एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। जंगली जानवरों के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत नुकसान होता है। आलू का खेत बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है और सुअर 15 मिनट में पूरा खेत खत्म कर देता है। इनको रोकने के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य बोलने से रह गए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे बजट भाषण पर चर्चा में बोल लेंगे। अब हम अगली मद लेते हैं। (व्यवधान)

***कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–**

माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट का समय दे दीजिए। मैंने कल भी अनुरोध किया था।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं और उनको समय नहीं मिल पा रहा है। कृपया वे लिख कर दे देंगे, उसे कार्यवाही में दर्ज कर लिया जाएगा।

***कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–**

माननीय अध्यक्ष जी, एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा–

''सौ साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोता है।
तब जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा।''

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, 100 साल तो नहीं, लेकिन 5 साल बाद उत्तराखण्ड की जनता को आज चमन के दीदावर के रूप में यह अभिभाषण प्राप्त हुआ, जो साक्षात हमारी काँग्रेस पार्टी का मैनीफेस्टो है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे समाज कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इस अभिभाषण में हर पहलू को अच्छी तरह से छुआ गया है और खाली छुआ नहीं गया है, उसकी समस्या के प्रति मिसाल का संज्ञान लेकर उसके निवारण का भी संकेत दिया गया है। मिसाल के तौर पर हम लोग तो किसान लोग हैं, किसानों की बात ही कहूंगा। कृषि को लेकर 10 साल में ऐसा अभिभाषण नहीं आया है। चाहे महाविद्यालयों की स्थापना की बात हो, चाहे विद्यालयों की स्थापना की बात हो, चाहे जैविक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हो। जैविक कृषि विश्वविद्यालय का बहुत महत्त्व है क्योंकि उर्वरक डालने से भूमि की उपज कम हो रही है, फर्टीलिटी घट रही है लेकिन जैविक कृषि के उपयोग से हमारे खेतों की फर्टीलिटी बढ़ेगी, इसके लिए आयाम खुलेंगे। ऐसे ही टसर विकास बोर्ड, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का विस्तार, यह तमाम चीजें इसमें दी गयी हैं। मान्यवर, खिलाड़ियों के विषय में जो आपने अभिभाषण में कहा है कि 3 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में इनको आरक्षण दिया जाएगा, एक अभूतपूर्व कदम है। इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अलावा इनको शिक्षण संस्थाओं में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी होंगे, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी होंगे, उनके लिए आपने सम्मानजनक पेंशन का प्राविधान रखा है। बहुत अच्छी बात है। इस उत्तराखण्ड में बहुत टैलेंट छिपा हुआ है। अगर उनको सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि जैसे वेटलिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, स्वीमिंग है, उनमें हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दे पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, वह उत्तराखण्ड का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, खादर का क्षेत्र कहलाता है। अक्सर पहाड़ की बात की जाती है, मैदान की बात की जाती है, तराई की बात की जाती है लेकिन खादर को छोड़ दिया जाता है। मान्यवर, खादर वह क्षेत्र है, जहां साल में 4 महीने बाढ़ रहती है। लोग विवश हो जाते हैं अपने घरों की छतों पर रहने के लिए। यदि ऐसे में किसी की मृत्यु हो गयी तो न उसको जलाने की जगह है, न दफनाने की जगह है, उसको बहाना पड़ जाता है। वहां पर हजारों एकड़ कृषि भूमि प्रतिवर्ष बह जाती है। कई सौ करोड़ का नुकसान होता है, वहां के लिए चाहूंगा कि तटबंध, जो पिछली माननीय एन0डी0 तिवारी जी की सरकार में हमने बनवाए थे, उनको पक्का किया जाए। खानपुर से लेकर दल्लावाला तक का बाढ़गांव तटबंध बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कुआँखेड़ा से मखाना होकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक का सोलानी नदी का तटबंध बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पक्का कराया जाए, उसके ऊपर खड़न्जे का निर्माण कराया जाए। वहाँ पर औद्योगीकरण किया जाए। पूरे प्रदेश में खादर क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब मैदानी क्षेत्रों में औद्योगीकरण हो गया है। आज तक खानपुर लक्सर क्षेत्र में मण्डी–परिषद् का गठन नहीं हो पाया है। मैं चाहूंगा कि वहाँ पर मण्डी–परिषद् का गठन हो। मैं राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपको धन्यवाद अभिज्ञापित करता हूँ।

*श्री विजय पाल सिंह सजवाण–

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने हेतु आपने मुझे अनुमति प्रदान की है। मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

मान्यवर, सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी तथा विकास खण्ड डुण्डा को ओ0बी0सी0 क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक है। क्योंकि दोनों विकास खण्ड पूर्व में राजगढ़ी तहसील में ही रहे हैं और दोनों विकास खण्ड आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्र हैं। विकास खण्ड डुण्डा एवं भटवाड़ी के लोगों का रहन–सहन, खानपान, बोली, भाषा, रीति–रिवाज, वैवाहिक रिश्ते नाते भी विकास खण्ड बड़कोट, पुरोला, नौगाँव रवाँई क्षेत्र से मिलते जुलते ही नहीं बल्कि एक जैसे हैं।

क्षेत्र की जनता चिरकाल से सम्पूर्ण विकास खण्ड भटवाड़ी एवं डुण्डा को ओ0बी0सी0 में सम्मिलित किए जाने की मांग करती आ रही है और क्षेत्र के लोगों को शासन स्तर पर उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है, अतः उक्त स्थितियों के दृष्टिगत मेरा विनम्र अनुरोध है कि विकास खण्ड भटवाड़ी एवं विकास खण्ड डुण्डा को ओ0बी0सी0 क्षेत्र घोषित करने की कृपा कीजिएगा।

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री से धरासू तक भारत सरकार द्वारा इको सेंसेटिव जोन घोषित किया गया है। इको सेंसेटिव जोन घोषित होने के कारण विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं। सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में न तो कोई जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किया जा सकता है, न ही स्थानीय लोगों द्वारा आवासीय भवन निर्मित किए जा सकते हैं, न ही रोजगार परक योजनाएं क्रियान्वित की जा सकती हैं और न ही पशुपालन का कार्य किया जा सकता है, न ही उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, न ही क्षेत्र में औषधीय दोहन किया जा सकता है। जिससे क्षेत्र के लोगों के सामने रोजगार की गम्भीर समस्या आ गई और इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों के सामने यहां से पलायन करने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है।

इन सब समस्याओं के निराकरण हेतु मेरा आपसे अनुरोध है कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गंगोत्री से धरासू तक इको सेंसेटिव जोन को समाप्त करने हेतु अपने स्तर से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके और यहां से पलायन को रोका जा सके।

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण जनपद है। जहां देश एवं विदेश से वर्षभर लाखों की संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धालु एवं पर्यटक आते–जाते हैं। उद्योग–धन्धे न होने के कारण यहां पर मुख्य रोजगार का साधन

नोटः–[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में जोड़ दिया गया।

पर्यटन ही है। इसलिए यहाँ के धार्मिक स्थलों एवं पर्यटक स्थलों को विकसित करना अति आवश्यक है जैसे कि द्‌यारा, डोडीताल, नचिकेता ताल, कुशकल्याण एवं मनेरी झील का विकास पर्यटन की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। इन स्थलों को विकसित करने से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा प्रदेश के मानचित्र में जनपद उत्तरकाशी को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। साथ ही प्रदेश सरकार का पर्यटन प्रदेश का सपना भी पूरा होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनपद उत्तरकाशी के धार्मिक स्थलों के साथ–साथ द्‌यारा, डोडीताल, नचिकेता ताल, कुशकल्याण एवं मनेरी झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए।

जनपद उत्तरकाशी में बन्द पड़ी जल विद्युत परियोजनाएं जैसे लोहारी नागपाला, पाला मनेरी आदि को पुनः शुरू करना जनहित में अति आवश्यक है क्योंकि उक्त परियोजनाओं के शुरू होने से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना भी पूरा होगा, प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।

मेरा आपसे अनुरोध है कि जनपद उत्तरकाशी में बन्द पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को पुनः शुरू करने के प्रस्ताव पारित करने की कृपा कीजिएगा।

मान्यवर, सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के लिए एकमात्र सुगम नजदीक मोटर मार्ग देहरादून से उत्तरकाशी, जो कि सुवाखोली से नगुण तक निर्मित है। सुवाखोली से भवान तक का मार्ग संकरा एवं तंग होने के कारण दुर्घटना की दृष्टि से अत्यन्त खराब है। प्रतिक्षण दुर्घटना घटने की आशंका से भरे उक्त मोटर मार्ग का शीघ्र चौड़ीकरण किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। देहरादून से उत्तरकाशी के लिए यह मोटर मार्ग ज्यादा सुविधाजनक है।

उक्त मोटर मार्ग को सुवाखोली से भवान तक का चौड़ीकरण किए जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूँ।]

*श्री ललित फर्स्वाण–

[1–काण्डा पेयजल योजना का उल्लेख।

2–रीमा नाकुरी तहसील का उल्लेख।

3–कपकोट विधान सभा क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का उल्लेख।

4–काण्डा एवं चौडास्थल को वि0ख0 का उल्लेख।

5–शामा को तहसील का उल्लेख।]

नोटः–[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में जोड़ दिया गया।

श्री हरीश धामी–

[1–धारचूला विधान सभा क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र का उल्लेख।

2–गोरीछाल क्षेत्र को तहसील का उल्लेख।

3–गुरिल्ला सेवकों को राजकीय सेवा का उल्लेख।

4–मुनस्यारी क्षेत्र को पर्यटन का उल्लेख।

5–तल्ला जोहार को विकास खण्ड का उल्लेख।]

*श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल–

[निवेदन करना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत खातस्यूं पट्टी के अन्तर्गत कोला पातल पम्पिग पेयजल योजना की शीघ्र ही आवश्यकता है क्योंकि इस क्षेत्र के 90 गांवों में पानी की गम्भीर समस्या है जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चूंकि पहाड़ी क्षेत्र होने से यहां के सारे स्रोत सूख गये हैं जिस कारण पानी की गम्भीर समस्या बनी हुई है।

अतः महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त पम्पिग पेयजल योजना को नयारघाटी से स्वीकृत कर शीघ्र शुरू कराने की कृपा करें।

निवेदन करना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत गगवाड़स्यूं पट्टी के ग्राम ल्वाली में जनता के द्वारा लम्बे समय से झील निर्माण कार्य करवाने की मांग है। गगवाड़स्यूं पट्टी को सौंदर्यीकरण प्रदान करने के लिए इस झील का निर्माण कार्य पर्यटन की दृष्टि से नितान्त आवश्यक है।

अतः महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त झील निर्माण का कार्य शुरू करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

निवेदन करना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत विकास खण्ड कलजीखाल में चिन्वाड़ी डांडा पम्पिग पेयजल योजना की शीघ्र ही आवश्यकता है क्योंकि इस क्षेत्र के 70 गांवों में पानी की गम्भीर समस्या है जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चूंकि पहाड़ी क्षेत्र होने से यहां के सारे स्रोत सूख गए हैं जिस कारण पानी की गम्भीर समस्या बनी हुई है।

अतः महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त पम्पिग पेयजल योजना को शीघ्र स्वीकृत कर शुरू कराने की कृपा करें।

नोटः–[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में जोड़ दिया गया।

निवेदन करना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2005 कांग्रेस सरकार के शासन में उक्त पम्पिंग पेयजल योजना का प्राक्कलन शासन द्वारा तैयार किया गया था किन्तु उक्त योजना अभी भी लम्बित पड़ी हुई है जिस कारण समस्त 42 गांव की जनता पानी की परेशानी से पलायन की स्थिति में है।

अतः महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त लम्बित योजना को सुचारु रूप से शुरू किए जाने की कृपा करें।

निवेदन करना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड कोट क्षेत्र के अन्तर्गत सबदरखाल क्षेत्र में गत 2002 से 2005 कांग्रेस सरकार के शासनकाल में उक्त पम्पिग पेयजल योजना का प्राक्कलन तैयार किया गया था किन्तु उक्त योजना अभी भी लम्बित पड़ी हुई है जिस कारण समस्त 55 गांव की जनता पानी की परेशानी से पलायन की स्थिति में है।

अतः महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त लम्बित योजना को सुचारु रूप से शुरू किए जाने की कृपा करें।

विनम्र प्रार्थना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत डांडा नागराजा पम्पिग योजना के अन्तर्गत 84 गांवों में पानी की ज्वलंत समस्या है। 2002 से 2007 तक निरन्तर उक्त पम्पिग योजना का प्राक्कलन तैयार किया गया था जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में अमल में नहीं लाया गया। उक्त योजना आज भी शासन में लम्बित पड़ी हुई है।

अतः महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त योजना को अमल में लाए जाने की कृपा करें।

विनम्र प्रार्थना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 37 पौड़ी के नगर क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त दयनीय है जिसमें नगर बस अड्डा निर्माण कार्य प्रमुख है। पूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा सन् 2005 में पौड़ी की आम जनता की मांग को मद्देनजर रखते हुए पौड़ी बस अड्डे के निर्माण कार्य के लिए धनराशि अवमुक्त की गयी थी, किन्तु भौगोलिक परिस्थिति के कारण वह धनराशि खुदाई एवं सीमेन्ट के पिलरों तक ही सीमित रह गयी है जिस कारण निर्माण कार्य लगभग बन्द हो गया है। आज स्थिति इतनी दयनीय हो गयी है कि नगर के समस्त वाहनों की आवाजाही एवं यात्रियों के आवागमन में अत्यधिक दिक्कतें आ रही हैं। यहां तक कि बस अड्डे से सटे व्यापारी एवं पौड़ी गांव के निजी मकानों में बरसात के समय गन्दा पानी एवं कीचड़ घुस जाता है और हर समय दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है।

नोटः–[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में जोड़ दिया गया।

अतः महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पौड़ी बस अड्डा निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए उचित धनराशि स्वीकृत करने की महती कृपा करें।

निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पौड़ी में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। पूर्व कांग्रेस सरकार के समय 2002 से 2007 में मुख्यमंत्री माननीय एन0डी0 तिवारी जी ने विभिन्न परियोजनाओं को बनवाने के लिए शीघ्र ही प्राक्कलन तैयार कर निर्माण कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान की थी किन्तु गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी परियोजनाओं पर विराम लगा दिया जिससे समस्त जनता को भारी क्षति हुई।

महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र में जो प्रमुख परियोजनाएं अधर में हैं वह निम्न रूप में संलग्न हैं:–

1. विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत पौड़ी नगर बस अड्डे का निर्माण कार्य।
2. विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत डांडा नागराजा पम्पिग योजना के सम्बन्ध में।
3. विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत बेलणेश्वर पम्पिग योजना के सम्बन्ध में।
4. विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत घुड़दौड़ी पम्पिग पेयजल योजना के सम्बन्ध में।
5. विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत चिन्वाड़ी डांडा पम्पिग पेयजल योजना के सम्बन्ध में।
6. विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत कोला पातल (खातस्यूँ) पम्पिग पेयजल योजना नयारघाटी से शुरू कराने के सम्बन्ध में।
7. विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत गगवाड़स्यूं पट्टी में झील निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।
8. भारत सरकार की घोषणा के अनुसार मेरी विधान सभा पौड़ी में मेडिकल कॉलेज खोला जाए।
9. पूर्व की भांति सड़कों के रखरखाव हेतु गैंगों व मेटों की स्वीकृति दी जाए, ताकि सड़कों का रखरखाव अच्छी तरह से हो जाए जिससे गाड़ियों को आने–जाने में परेशानी न हो।

अतः महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी मांगों को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें जिससे जनता की मुख्य समस्याएं दूर हो सकें।

नोटः–[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में जोड़ दिया गया।

श्री विक्रम सिंह नेगी–

[कन्या धन–

कन्या धन योजना की राशि 50 हजार किए जाने, विधवा तथा वृद्ध, विकलांग पेंशन को दोगुना करने और आश्रयहीन महिलाओं को इंदिरा आवास व मुफ्त बिजली देने का संकल्प स्वागत योग्य है।

गुरिल्ला–

गुरिल्लाओं की लम्बित समस्याओं को समाधान स्वागत योग्य है।

पेयजल स्वीकृत प्रताप नगर एवं रजाखेत पम्पिंग योजना पर धन आवंटन–

25 हजार हैण्डपम्पों एवं निर्माणाधीन पम्पिंग योजनाओं को धनावंटन करने व लम्बित पम्पिंग योजनाओं का निर्माण स्वागत योग्य है। इसके साथ ही धारा, रौला–नौला एवं गाड़–गधेरों में जल संवर्धन व वर्षा जल के संरक्षण सरकार की दूरदृष्टि का परिचायक है।

अंत में मैं माननीय अध्यक्ष, माननीय नेता सदन, माननीय मंत्रियों व माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। और इस आशय के साथ अपने विचारों को पूरा करता हूँ कि यह अभिभाषण उत्तराखण्ड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि का कायल हूँ, उनका यह कदम उत्तराखण्ड के विकास के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा

पंचायत–

पंचायत प्रतिनिधियों व निकाय प्रतिनिधियों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिए जाने से हजारों पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान स्वागत योग्य है।

कर्मचारी–

अस्थायी, तदर्थ, वर्कचार्ज, ठेकेदारी प्रथा में कार्यरत, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किए जाने का कदम एवं भोजन माता, आशा बहिनें, ग्राम प्रहरी, आंगन बाड़ी कार्यकत्री का मानदेय बढ़ाने का कदम इसलिये भी स्वागत योग्य है कि सरकार की दृष्टि दूर–दराज के विषम क्षेत्रों में कार्य करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों के हितार्थ उठाए गए कदम स्वागत योग्य हैं।

नोटः–[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में जोड़ दिया गया।

बी0पी0एल0–

बी0पी0एल0 परिवारों के चयन नियमों को शिथिल करने एवं बी0पी0एल0 परिवारों का पुनः सर्वे व ` 2 किलो गेहूं, चावल सस्ते दर पर, तेल और दाल को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना व मनरेगा श्रमिक ए0पी0एल0 परिवारों को सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध कराना स्वागत योग्य कदम है।

रेलवे लाइन–

ऋषिकेश–उत्तरकाशी रेलवे लाइन शुरू करवाने एवं टिहरी जनपद को जोड़ते हुए, बांध प्रभावित क्षेत्र प्रतापनगर को भी रेल सुविधा से जोड़ा जाए।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता, उत्तराखण्ड आंदोलनकारी व शहीदों के सपने को साकार करने व पर्वतीय प्रदेश को विकास की दृष्टि से 21वीं सदी में लेने का मजबूत दस्तावेज है। महामहिम के भाषण में राज्य के सभी वर्गों, धर्मों और जाति को, गरीबों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, आंदोलनकारियों, महिलाओं, छात्र एवं छात्राओं, बुजुर्गों की ज्वलंत एवं लम्बित समस्याओं का जिक्र एवं निराकरण का संकल्प स्वागत योग्य है, और प्रदेश के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी व कांग्रेस पार्टी की विकासपरक सोच के दृढ़ निश्चय को उजागर करती है।

माननीय अध्यक्ष जी, अभिभाषण का हर बिन्दु प्रशंसनीय है, लेकिन पहली बार सदन में विधायक के रूप में मुझे कहने का मौका मिला। लेकिन इस अवसर पर मेरे समय और अनुभव दोनों कम हैं, लिहाजा मैं कम समय में अपनी बात कह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, (1) पर्वतीय राज्य के अनुरूप जिला, तहसील एवं ब्लॉक व ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन।

(2) टिहरी बांध की विशालकाय झील को पर्यटन से जोड़ने का संकल्प बहुत ही स्वागत योग्य है। इसमें सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। महोदय, मेरा इस सदन के माध्यम से विनम्र अनुरोध है कि झील का उपयोग पर्यटन के साथ–साथ मत्स्य पालन में भी किया जाए, एवं बांधों से राज्य सरकार को होने वाली आमदनी का 10 फीसदी हिस्सा प्रभावित क्षेत्र में खर्च करने का निर्णय क्रांतिकारी फैसला है।

(3) टिहरी जैसे पिछड़े जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प टिहरी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, साथ ही एक लम्बित मांग का निराकरण होगा।

(4) टिहरी बांध के कारण 125 गांव जलमग्न हुए। उनकी याद एवं संस्कृति को चिरस्मरणीय रखने के लिए संग्रहालय की स्थापना प्रशंसनीय कदम है।

(5) टिहरी बांध के विस्थापितों एवं बांध के कारण प्रभावित क्षेत्रों, खासकर झील के पार के क्षेत्रों, की लम्बित मांगों को एक साल के अन्दर निपटाने, साथ ही झील के कारण भूस्खलन से प्रभावित मदनेगी के परिवारों की समस्याओं का समाधान स्वागत योग्य कदम है।

(6) दैवीय आपदा के कारण खतरे की जद में आए गांवों के लिए पुनर्वास की योजना तैयार करने की कार्यवाही लम्बित समस्या का समाधान है।

(7) माननीय महोदय, भवानी भाई देव गांव पट्टी ओण के निवासी थे। स्वर्गीय भवानी भाई के नाम से छात्रावास एवं निःशुल्क भोजन का संकल्प, स्वागत योग्य कदम है।

(8) जंगली जानवरों से फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए फसल बीमा योजना लागू करने का कदम स्वागत योग्य है।

पर्वतीय क्षेत्र में सुअर के कारण फसलों का भारी नुकसान हो रहा है।

(9) बागवानी को प्रोत्साहन एवं पारम्परिक फसलों जैसे कि कोदा–झंगोरा का समर्थन मूल्य दिलाए जाने, पर्वतीय क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट, ठंडी व गर्म जलवायु में फल पौध की नर्सरी का विकास, रोपवे की सुविधा का कदम स्वागत योग्य है।

(10) वन भूमि के कारण लम्बित सड़कों के निर्माण के लिए समय पर वन भूमि को उपलब्ध कराना, स्वागत योग्य है।

सौण्ढ़ी गांव में सड़क न होने के कारण वर्तमान चुनाव का बहिष्कार किया गया।

(11) शिक्षा के क्षेत्र में वाणिज्य, सूचना तकनीकी और एन0सी0सी0 अनिवार्य विषय किया जाना स्वागत योग्य है। इसके साथ ही अंशकालिक शिक्षकों, संविदा प्रवक्ताओं व विभिन्न महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने व खेल महाविद्यालय के खोले जाने का संकल्प अति महत्वपूर्ण है।

(12) बेरोजगारी भत्ता–

शिक्षित बेरोजगारों के लिये ` 750 से लेकर 1500 की धनराशि प्रतिमाह देने का निर्णय प्रशंसनीय है।]

*श्री राजकुमार–

दिनांक 29–3–12 को सदन की बैठक में बहुमत प्रस्ताव सिद्ध होने के पश्चात् अन्य सम्मानित विधायकों के अभिभाषण के चलते एवं समय के अभाव के कारण मुझे समय न मिलने के कारण मैं अपने विषय के बिन्दु लिखित में आपके समक्ष रखकर दर्ज कराने हेतु प्रेषित कर रहा हूँ।

जाति एवं निवास प्रमाण पत्र न बनाने के कारण एवं उनकी कठिन प्रक्रियाओं के कारण जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें नौकरी, शिक्षा एवं स्कूली बच्चों को वजीफा मिलने एवं फीस माफ में जो असुविधा हो रही है जिसके कारण लाभार्थियों को उचित लाभ न मिलने के कारण भविष्य अन्धकार में नजर आ रहा है। जाति प्रमाण एवं मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र को बनाने की प्रक्रिया को सरल कर जनहित में सहयोग करने का कष्ट कीजिएगा।

JNNURM के अन्तर्गत जो योजनाएं शहर देहरादून व अन्य जिलों में चल रही हैं उनमें विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं हैं जिस कारण समाज के हर वर्ग को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसकी पुनः DPR बनाई जाए जिससे इसमें जो भी क्षेत्र इन योजनाओं में सम्मिलित नहीं हो पाए उन्हें इसमें सम्मिलित कर जनता को बराबर का लाभ पहुंचाया जाए।

देहरादून व उत्तराखण्ड की समस्त मान्यता प्राप्त मलिन बस्तियों का नियमितीकरण (पट्टे) किया जाना आवश्यक है जिससे राजस्व की प्राप्ति होगी एवं जो लम्बे समय से अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके एवं भयमुक्त जिन्दगी बसर कर अपने बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ बना सकें।

ADB द्वारा जो योजनाएं देहरादून व उत्तराखण्ड के अन्य क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं उनकी DPR भी अधूरी है जिसे पुनः बनाना आवश्यक है क्योंकि इनमें कई क्षेत्रों के पानी एवं सीवर की समस्याओं को छोड़ दिया गया है एवं जिन क्षेत्रों में कार्य आरम्भ है वहां गति बहुत धीमी है जिससे जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

आपदा के कारण नदी रिस्पना/बिन्दाल के किनारे रहने वालों को नुकसान सहना पड़ता है एवं हाल में ही इनकी क्षतिग्रस्त झोपड़ियां एवं कच्चे घरों को आगे बरसात से बचाने हेतु पुश्ते/जाल व बांध बनाकर उनके व उनके परिवार के जान–माल की सुरक्षा करने हेतु प्रेषित।

देहरादून शहर राजधानी में जो सड़क/चौराहा चौड़ीकरण का कार्य लम्बे समय से चल रहा है वह बहुत असन्तोषजनक है जिससे शहर की जनता एवं पर्यटकों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है जो अनुचित है। इसमें सम्बन्धित अधिकारी/विभाग को आदेशित कर जनहित में कार्य की गुणवत्ता व विलम्बता को गति देने का कष्ट करें।

नोटः–[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में जोड़ दिया गया।

यातायात एक गम्भीर समस्या बनती जा रही है। इसका कारण बढ़ती आबादी व आवाजाही है। इसे सुचारु व व्यवस्थित करने हेतु निम्न कार्य होने आवश्यक हैं। जिससे राजधानी को एक नया रूप दिया जा सके।

(1) ओवर ब्रिज निर्माण,

(2) भूमिगत पैदल पथ मार्ग,

(3) शहर के विभिन्न आबादी क्षेत्र में हाई टेन्शन लाइनों को हटाने हेतु एवं जहाँ बहुत नीचे लाइनें (विद्युत) लटकी हैं, उन्हें अतिशीघ्र व्यवस्थित किया जाना आवश्यक है।,

*श्री फुरकान अहमद–

(1) हमारे यहाँ हरिद्वार में सोलानी नदी आदि हैं उनमें दैवीय आपदा से काफी जमीन का कटाव होता है। नदी के किनारे पत्थरों के पीचग बनवाए जाए।

(2) काश्तकारों को गन्ने का भुगतान तुरन्त करा जाए।

(3) कलियर शरीफ में नए बजट में पुल का निर्माण करा जाए।

*डा0 जीतराम–

माननीय अध्यक्ष जी, थराली विधान सभा जनपद चमोली में सीमान्त क्षेत्र है तथा भौगोलिक दृष्टि से विषम है। यहाँ पर विकास कार्यों के लिए सीमान्त विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए। माँ भगवती राजराजेश्वरी नन्दा राजजात विश्व प्रसिद्ध यात्रा है जिसे कुम्भ की तर्ज पर विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान हो।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव "यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2012 को दिए गए अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है" को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव "यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2012 को दिए गए अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है" को पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अपराह्न 03:00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

नोटः–[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में जोड़ दिया गया।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के एक भाग के लिए लेखानुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः–

अनुदान संख्या–01, विधान सभा

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **134468000** (` तेरह करोड़, चौवालीस लाख, अड़सठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **134468000** (` तेरह करोड़, चौवालीस लाख, अड़सठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–03, मंत्रि–परिषद्

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03, मंत्रि–परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **85461000** (` आठ करोड़, चौवन लाख, इकसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03, मंत्रि–परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **85461000** (` आठ करोड़, चौवन लाख, इकसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 427697000 (` बयालिस करोड़, छिहत्तर लाख, सतानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 427697000 (` बयालिस करोड़, छिहत्तर लाख, सतानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–05, निर्वाचन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 49279000 (` चार करोड़, बयानवे लाख, उन्यासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 49279000 (` चार करोड़, बयानवे लाख, उन्यासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 1466797000 (` एक सौ छियालिस करोड़, सड़सठ लाख, सत्तानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 1466797000 (` एक सौ छियालिस करोड़, सड़सठ लाख, सत्तानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 8065741000 (` आठ सौ छः करोड़, सत्तावन लाख, इक्तालीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 8065741000 (` आठ सौ छः करोड़, सत्तावन लाख, इक्तालीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–08, आबकारी

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08, आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 29965000 (` दो करोड़, निन्यानवे लाख, पैंसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08, आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 29965000 (` दो करोड़, निन्यानवे लाख, पैंसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 2559093000 (` दो सौ पचपन करोड़, नब्बे लाख, तिरानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 2559093000 (` दो सौ पचपन करोड़, नब्बे लाख, तिरानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 13835404000 (` एक हजार तीन सौ तिरासी करोड़, चौवन लाख, चार हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 13835404000 (` एक हजार तीन सौ तिरासी करोड़, चौवन लाख, चार हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 3329492000 (` तीन सौ बत्तीस करोड़, चौरानवे लाख, बयानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 3329492000 (` तीन सौ बत्तीस करोड़, चौरानवे लाख, बयानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 3392467000 (` तीन सौ उन्तालीस करोड़, चौबीस लाख, सड़सठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 3392467000 (` तीन सौ उन्तालीस करोड़, चौबीस लाख, सड़सठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–14, सूचना

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14, सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 89864000 (` आठ करोड़, अट्ठानवे लाख, चौंसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14, सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 89864000 (` आठ करोड़, अट्ठानवे लाख, चौंसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनायें

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 2187035000 (` दो सौ अट्ठारह करोड़, सत्तर लाख, पैंतीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 2187035000 (` दो सौ अट्ठारह करोड़, सत्तर लाख, पैंतीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 293949000 (` उन्तीस करोड़, उन्तालीस लाख, उन्चास हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 293949000 (` उन्तीस करोड़, उन्तालीस लाख, उन्चास हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 1307938000 (` एक सौ तीस करोड़, उन्यासी लाख, अड़तीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 1307938000 (` एक सौ तीस करोड़, उन्यासी लाख, अड़तीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–18, सहकारिता

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18, सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 118384000 (` ग्यारह करोड़, तिरासी लाख, चौरासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18, सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 118384000 (` ग्यारह करोड़, तिरासी लाख, चौरासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 2080280000 (` दो सौ आठ करोड़, दो लाख, अस्सी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 2080280000 (` दो सौ आठ करोड़, दो लाख, अस्सी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **3083663000** (` तीन सौ आठ करोड़, छत्तीस लाख, तिरसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **3083663000** (` तीन सौ आठ करोड़, छत्तीस लाख, तिरसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–21, ऊर्जा

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21, ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **1904350000** (` एक सौ नब्बे करोड़, तैंतालीस लाख, पचास हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21, ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **1904350000** (` एक सौ नब्बे करोड़, तैंतालीस लाख, पचास हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **4503484000** (` चार सौ पचास करोड़, चौंतीस लाख, चौरासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **4503484000 (` चार सौ पचास करोड़, चौंतीस लाख, चौरासी हजार)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–23, उद्योग

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23, उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **313753000 (` इक्तीस करोड़, सैंतीस लाख, तिरपन हजार)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23, उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **313753000 (` इक्तीस करोड़, सैंतीस लाख, तिरपन हजार)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–24, परिवहन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24, परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **237362000 (` तेइस करोड़, तिहत्तर लाख, बासठ हजार)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24, परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **237362000 (` तेइस करोड़, तिहत्तर लाख, बासठ हजार)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–25, खाद्य

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25, खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 1282147000 (` एक सौ अठ्ठाईस करोड़, इक्कीस लाख, सैंतालीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25, खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 1282147000 (` एक सौ अठ्ठाईस करोड़, इक्कीस लाख, सैंतालीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–26, पर्यटन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26, पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 339308000 (` तैंतीस करोड़, तिरानवे लाख, आठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26, पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 339308000 (` तैंतीस करोड़, तिरानवे लाख, आठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–27, वन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27, वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 1297448000 (` एक सौ उन्तीस करोड़, चौहत्तर लाख, अड़तालीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27, वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 1297448000 (` एक सौ उन्तीस करोड़, चौहत्तर लाख, अड़तालीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–28, पशुपालन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 369180000 (` छत्तीस करोड़, इक्यानवे लाख, अस्सी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 369180000 (` छत्तीस करोड़, इक्यानवे लाख, अस्सी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 334366000 (` तैंतीस करोड़, तैंतालीस लाख, छियासठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` 334366000 (` तैंतीस करोड़, तैंतालीस लाख, छियासठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **2605527000** (` **दो सौ साठ करोड़, पचपन लाख, सत्ताईस हजार**) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **2605527000** (` **दो सौ साठ करोड़, पचपन लाख, सत्ताईस हजार**) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **744580000** (` **चौहत्तर करोड़, पैंतालीस लाख, अस्सी हजार**) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में ` **744580000** (` **चौहत्तर करोड़, पैंतालीस लाख, अस्सी हजार**) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जाएं।

(प्रतियां वितरित की गईं)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012

(विधेयक संख्या– वर्ष 2012)

राज्य की संचित निधि में से 01–04–2012 से 31–07–2012 की अवधि में सेवाओं पर व्यय के लिए कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2012 है। संक्षिप्त नाम

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2012–13 के लिए ` 70186597000 का दिया जाना

2. उत्तराखण्ड की संचित निधि में से 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए ` 70186597000 (` सात हजार, अठ्ठारह करोड़, पैंसठ लाख, सत्तानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ–7 और 9 में विनिर्दिष्ट मतदेय तथा स्तम्भ–8 और 10 में विनिर्दिष्ट भारित धनराशियों का योग है, निकाली जा सकेगी।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से निकाले जाने के लिए प्राधिकृत धनराशि, उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएगी।

अनुसूची

31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुदान की आवश्यकता है।

(हजार रुपये में)

अनुदान/क्रय तथा उसका विवरण		कुल मांग				1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2012 हेतु आवश्यक धनराशि			
		राजस्व		पूंजी		राजस्व		पूंजी	
		मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	विधान सभा	178599	7971	226000	0	59135	2457	75333	0
02	राज्यपाल	0	53450	0	0	0	17321	0	0
03	मंत्रि परिषद्	261381	0	0	0	85461	0	0	0
04	न्याय प्रशासन	1135043	223961	150000	0	377697	74654	50000	0
05	निर्वाचन	147834	0	0	0	49279	0	0	0
06	राजस्व एवं सामान्य	4208335	19320	196000	0	1401464	6440	65333	0
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	23865689	21599389	334404	22971300	7954270	7950416	111471	5619103
08	आबकारी	89886	0	0	0	29965	0	0	0
09	लोक सेवा आयोग	0	93277	0	15001	0	31092	0	5001
10	पुलिस एवं जेल	7308181	0	400001	0	2425759	0	133334	0
11	शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति	39422362	0	2083603	0	13140862	0	694542	0
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	8752640	0	1235507	0	2917648	0	411844	0
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	5252356	0	4925000	0	1750800	0	1641667	0
14	सूचना	260581	0	10000	0	86531	0	3333	0
15	कल्याण योजनायें	6372341	0	188503	0	2124197	0	62838	0
16	श्रम और रोजगार	814661	0	68000	0	271282	0	22667	0
17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	3915296	0	8500	0	1305105	0	2833	0
18	सहकारिता	310128	0	45000	0	103384	0	15000	0
19	ग्राम्य विकास	3817223	0	2423601	0	1272412	0	807868	0
20	सिंचाई एवं बाढ़	3384883	0	5867301	0	1127896	0	1955767	0
21	ऊर्जा	52926	0	5660102	0	17647	0	1886703	0
22	लोक निर्माण कार्य	4882438	31500	6840000	0	1767484	10500	2736000	0
23	उद्योग	642713	0	198500	0	214253	0	99500	0
24	परिवहन	220049	0	492006	0	73356	0	164006	0
25	खाद्य	3830432	0	16000	0	1276814	0	5333	0
26	पर्यटन	498407	0	519503	0	166138	0	173170	0
27	वन	3290563	0	509282	0	1093734	0	203714	0
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	1051228	0	56283	0	350419	0	18761	0
29	औद्यानिक एवं रेशम विकास	1003040	3393	0	0	334366	1131	0	0
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	4750856	0	3065600	0	1583658	0	1021869	0
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1368061	0	865538	0	456069	0	288511	0
योग :		131088132	22032261	36384234	22986301	43817085	8094011	12651397	5624104
राजस्व/पूंजी का कुल योग :		153120393		59370535		51911096		18275501	
महायोग (कुल मांग एवं आवश्यक मांग)		212490928				70186597			

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–15 पुकारे जाने पर)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, चूँकि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं इसलिए इसको निरस्त कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे निरस्त किया जाता है।

सदन को अनिश्चितकाल तक स्थगित किए जाने का प्रस्ताव

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।

भारत–भाग्य–विधाता।।

पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा

द्राविड़–उत्कल–बंग।

विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,

उच्छल–जलधि–तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन–गण–मंगलदायक जय हे,

भारत–भाग्य–विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चितकाल के लिए।

(''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन की कार्यवाही 3 बजकर 33 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

देहरादून
दिनांक : 29 मार्च, 2012

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 विधान सभा / 645–06–03–2014–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर / रीजियो)।